रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No.D(D)-72

21 FEB 1979

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 1979/माघ 2, 1900

No. 26] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 1979/MAGHA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या–8आईटीसी (पीएन)/79

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1979

विषय : विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओईसीएफ) द्वारा प्रदान किए गए 1978-79 के लिए येन ऋण (पण्य सहायता) आईडीसी-4 के अधीन निजी क्षेत्रों के आयातों और सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के लिए लाइसेंस शर्तें ।

[मिसिल संख्या-आईपीसी/39/5/78].—1978-79 के लिए येन ऋण (पण्य सहायता) आईडीसी-4 के अधीन निजी क्षेत्र के आयातों और सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के लिए लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें, जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 और 2 में दी गई हैं, सूचना के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या 8-आईटीसी (पीएन)/79 दिनांक 22-1-1979 का परिशिष्ट 1

विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओईसीएफ) द्वारा प्रदान किए गए 1978-79 के लिए येन ऋण (पण्य सहायता) आईडीसी-4 के अधीन निजी क्षेत्र के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें ।

खण्ड 1—सामान्य शर्तें

जापान की विदेश आर्थिक सहकारिता निधि (ओईसीएफ) द्वारा स्वीकृत 1978-79 के लिए येन पण्य क्रेडिट ओईसीडी और विकासशील देशों के लिए बन्धन मुक्त है । तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबन्ध 1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं । ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे । लेकिन, यदि लाइसेंस के अधीन आयात की गई पण्य वस्तुओं में ऐसे घटक हैं जिनका मूल रूप से उत्पादन आयात स्रोत देश या देशों में हुआ है तो संभरण ठेके की समझौता वार्ता करते समय आयातक को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि संभरण ठेके के देश के आयात किए गए ऐसे घटकों का, आयात शुल्क सहित कुल लागत बीमा-भाड़ा मूल्य संभरण ठेके के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से 30% से कम है । ऐसे मामले में संभरकों से इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे संभरण ठेके में संलग्न कर देना चाहिए ।

1(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण संख्या आईडीसी-4" होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस मुक्त "एस/जेड्न" होगा । ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस के अग्रप्रेषण पत्र में भी दुहराए जाएंगे ।

1(3) बैंक खर्चे जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपए में भारत में चुकाना चाहिए । लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए, लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे ।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जायेगा । लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी

से सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-ई-1 अनुभाग) से परामर्श करेगा ।

1(5) पक्के आदेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-1 अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिएं । "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों या क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हों । विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश और/या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकरणीय नहीं है ।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई-1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं । यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते है । लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-ई-1 अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को परेषित करेंगे ।

लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों के सम्बन्ध में बैंक गारन्टी साखपत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र, तुल्य रुपया जमा कराने की स्वकृति आदि की सुविधाओं की अनुमति देंगे ।

1(7) आयात लाइसेंस की समाप्ति से एक महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिएं । माल के पोत लदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नानुसार व्यवस्था होनी चाहिए ।

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद .... महीने परन्तु अधिक से अधिक .... के अन्त तक पूर्ण किया जाना है ।"

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि .... के बाद की न हो ।

खण्ड 2—संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1)(क) ठेके का मूल्य येन या यू० एस० डालर या पौंड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेन्ट या एक पैनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होनी चाहिए, और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए । भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । जहाज पर्यन्त नि.शुल्क लागत, बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किये गये भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी ।

(ख) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिए ।

2(2) मूल्य में 30 करोड़ येन या 15,00,000 यू० एस० डालर या 8,00,000 पौंड मूल्य तक (भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को छोड़कर) के अलग-अलग आयातों के लिए लाइसेंसधारी संभरकों से सीधे ही खरीददारी करने के लिए स्वतंत्र है उसे अनुबन्ध-1 में सूचीबद्ध देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की पूछ-ताछ की आवश्यकता नहीं है ।

(3) लेकिन, जिस मामले में संभरण ठेके के मूल्य उपर्युक्त-2(2) में निर्धारित सीमा से अधिक हो जाते है (भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को छोड़कर) तो उसमें अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रिया विधियों में से किसी एक का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करना चाहिए :—

(क) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना ।

(ख) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना ।

(ग) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति ।

2(4) पात्र स्रोत देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अधिप्राप्ति के किसी भी सन्दर्भ का अर्थ, जैसा भी मामला हो, निविदा अथवा अधिप्राप्ति से होगा । औपचारिक प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या प्रत्यक्ष खरीददार खरीददारी के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि से उन मामलों में छूट दी जा सकती है जिनमें :—

(1) पात्र सम्भरकों की एक संख्या एक विशेष देश में या देशों की सीमित संख्या में विद्यमान हों ।

(2) पारस्परिक अदल-बदल का या उपस्कर के मानकीकरण का सुनिश्चय करने के लिए या डिजाइन की विशेष आवश्यकताओं के कारण एक विशेष विशिष्टिकरण, व्यापार नाम या पदनाम के संदर्भ में पण्य वस्तु की खरीददारी आवश्यक हो ।

(3) खरीददारियां आपात कालीन अधिप्राप्ति की श्रेणी में आती हों । इसलिए, लाइसेंसधारी को सलाह दी जाती है कि जिस मामले में उपर्युक्त पैरा 2(3) के (क) और (ख) की क्रियाविधि का सहारा नहीं लिया जा सकता है उसमें आर्थिक कार्य विभाग को संदर्भ भेजना पड़ेगा जो कि ऐसे प्रत्येक मामले पर पात्रता के आधार पर विचार करेगा ।

2(5) जिस मामले में औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने की क्रियाविधि का सहारा लिया जाता है उस में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिएं :—

(क) बोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाली कम से कम एक अखबार में विज्ञापित करने पड़ेंगे ।

(ख) बोली के बाण्ड या बोली लगाने की गारन्टी सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले, हतोत्साह हो जाएं ।

(ग) बोली खुल जाने के बाद बोलीकारों को यथा शीघ्र बोली बाण्ड या गारन्टियां रिहा कर देनी चाहिएं ।

2(6) विदेशी संभरक को भुगतान जिनके ब्यौरे नीचे खण्ड '6' में दिए गए है उनके नाम में आयातक के बैंक द्वारा खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जो कि 1978-79 के लिए ओ० ई० सी० एफ० येन क्रेडिट (पण्य सहायता) के अन्तर्गत भारतीय बैंक टोकियों के माध्यम से किया जाएगा ।

2(7) आयात लाइसेंस के सम्पूर्ण मूल्य के लिए केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए । लेकिन, कुछ विशेष मामलों मे, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

2(8) संभरक की पात्रता :

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा पक्के रूप से नियंत्रित न्यायिक व्यक्ति होगा ।

भाग-3—संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए :—

3(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच येन ऋण संख्या आईडीसी-4 (पण्य सहायता) से सम्बन्धित 6 अक्टूबर, 1978 को हुए समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह उक्त ऋण के अन्तर्गत वित्तदान के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा ।

3(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच येन ऋण संख्या आईडीसी-4 (पण्य सहायता) से सम्बन्धित 6-10-1978 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे ।

3(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओईसीएफ द्वारा येन ऋण व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अपेक्षित हो ।

3(घ) नीचे संकेतित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र :—

"मैं (हम) एतद् द्वारा यह स्पष्ट करता हूं/करते है कि मेरी (हमारी) कम्पनी .... (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और शामिल हुए न्यायिक व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित है ।

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण ठेके में इस सम्बन्ध में एक विशेष धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक पोत परिवहन पूर्ण होने के तुरन्त बाद ही बीजक की एक प्रति और लदान बिल की एक प्रति के साथ एक रिपोर्ट भारत के दूतावास, टोकियों को भेजे ।

खण्ड-4—माल की अधिप्राप्ति के लिए और संभरण ठेके को पूर्ण करने के लिए विस्तृत क्रियाविधि अनुबन्ध 2 में निर्दिष्ट की गई है ।

खण्ड-5—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन

5 (1) पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंसधारी को दोनों पक्षों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या विदेशी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश और विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में उसके पुष्टीकरण की चार प्रतियां, जो सब प्रकार से पूर्ण हों, सम्बन्धित वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित और अनुबन्ध 3 में संलग्न प्रपत्र में एक आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) के साथ भी स्टाम्प समाहर्ता द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के खंड 31 के अन्तर्गत विधिवत् निर्णीत अनुबन्ध 4 में यथा निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी के साथ, अवर सचिव (डब्ल्यू-ई-1 अनुभाग) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हुए भेजने चाहिएं ।

यदि किसी मामले में ठेका औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने या औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने पर आधारित हो तो निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में भेजना चाहिए :—

(1) उस अखबार का नाम जिसमें बोली का विशिष्टिकरण प्रकाशित किया गया था ।

(2) उन पार्टियों का नाम जिन्होंने निविदा पूछताछ के प्रति बातचीत की ।

(3) यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या यह क्रियात्मक रूप से निम्नतम उपयुक्त बोली है, एक विशेष बोली (प्रस्ताव) चुनने का कारण ।

5 (2) बैंक गारन्टी—यह धनराशि जिसके लिए यह निष्पादित की जानी चाहिए ।

बैंक गारंटी येन धनराशि के तुल्य रुपये प्रदर्शित करते हुए उस धनराशि के लिए होनी चाहिए जिस के लिए प्राधिकार पत्र/साखपत्र मांगा गया है और इसमें अनुबंध 4 में यथा उल्लिखित ब्याज तथा अन्य खर्चे भी शामिल होने चाहिएं । परिवर्तन की दर राजस्व तथा बैंक विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना संख्या-78-आईटी (पीएन)/74 दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय की दर पर होगी । यह दर केवल लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी की मूल्य की गणना करने के उद्देश्य के लिए है । आयातों की लागत के लिए सरकारी लेखों में रुपया जमा करने के उद्देश्य के लिए तुल्य रुपये की गणना नीचे खण्ड-7 में निर्दिष्ट तरीके से करनी होगी ।

5 (3) यदि ठेके के दस्तावेज, प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र, बैंक गारंटी और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू-ई-1 अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और उसे विदेशी आर्थिक सहयोग निधि को उनकी इस जानकारी के लिए अधिसूचित करेगा कि ठेके के लिए वित्तदान येन क्रेडिट (पण्य वस्तु सहायता) के अन्तर्गत किया जाएगा और साथ-साथ दस्तावेजों का एक सेट नियंत्रक, सहायता लेखा व लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय यूसीओ बिल्डिंग, पहली मंजिल, ससद मार्ग, नई दिल्ली को अपेक्षित प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए भेजेगा । इस पत्र व्यवहार की एक प्रति सूचना के लिए लाइसेंसधारी को भी भेजी जाएगी ।

ठेके का अनुमोदन करने वाली उपर्युक्त क्रियाविधि इसी प्रकार प्रत्येक ठेके संशोधन पर लागू होगी ।

खण्ड-6—विदेशी संभरक को भुगतान-साखपत्र क्रियाविधि

6 (1) डब्ल्यू-ई-1 अनुभाग वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली से उपर्युक्त पैरा 5(3) में उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक (सी० ए० ए० ए०) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली (जिन्हें सुविधा के लिए इसके बाद सी० ए० ए० ए० कहा गया) उस भारतीय बैंक को अनुबन्ध 5 के रूप में संलग्न प्रपत्र में एक प्राधिकरण पत्र जारी करेगा जिस ने विदेशी संभरक के पक्ष में अनुबन्ध 6 के रूप में संलग्न प्रपत्र में अपरिवर्तनीय साख पत्र खोलने के लिए बैंक गारन्टी प्रस्तुत की है । सी० ए० ए० ए० द्वारा इसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि को बैंक आफ टोक्यो

को जापान स्थित भारतीय राजदूतावास को और डब्ल्यू-ई-1 अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजी जाएंगी ।

6. (2) इस प्राधिकार-पत्र के आधार पर सम्बद्ध भारतीय बैंक सम्बद्ध विदेशी संभरक के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलेगा और मूल साखपत्र (उसकी चार प्रतियों के साथ) को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को यह निवेदन करते हुए भेजेगा कि वे अपना पुष्टिकरण इसमें जोड़कर इसे विदेशी संभरक को भेज दे । यह ध्यान में रखना चाहिए कि निजी क्षेत्र के आयातों से सम्बन्धित संभरकों के बैंक पर जारी किए गए साख-पत्र निरपवाद रूप से भारतीय बैंक, टोकियो के माध्यम से भेजे जाने चाहिए (जो इसकी पुष्टि करेगा) । भारतीय बैंक टोकियो साखपत्र की एक प्रति ओईसी एफ एवं सी० ए० ए० ए० को भेजेगा ।

सी० ए० ए० ए० से प्राधिकार-पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार-पत्र/साख-पत्रों के संशोधनों पर इसी प्रकार से लागू होगी ।

6. (3) माल का पोत लदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगी और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा ।

6. (4) साख-पत्र में यह पुष्टिकरण जोड़ने के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को चुकाए जाने वाले बैंक खर्चे—उसके अधीन मोल तोल करने के लिए और विदेशी संभरक को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा आयातों की लागत के भुगतान की तिथि से ओईसी एफ द्वारा उस लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति की तिथि तक बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को देय ब्याज खर्चे भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार को प्रभावित किए बिना ही बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को धन प्रेषण द्वारा चुकाए जाएंगे ।

खण्ड-7—रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व :

7. (1) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे, उस बैंक की दस्तावेजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही लाइसेंसधारी को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू० एस० डालर/पौंड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपया और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 % प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 % प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना संख्या-46-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है । ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है । देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या-103 आईटीसी, (पीएन)/76 दिनांक-12-10-1976 द्वारा यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या-74 आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन/यू० एस० डालर/पौंड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य-नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए । इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा, अधिसूचित कर दिया जाएगा । इस बात का सुनिश्चय करने का सम्बद्ध भारतीय बैंक का उत्तरदायित्व होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है । लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है । जिस लेखा शीर्ष में उपयुक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सिज 843 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसट्रा एब्राड परचेजिज अन्डर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट्स क्रेडिट्स फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान अन्डर दि डिटेल्ड हैड येन क्रेडिट (कमोडिटी ऐड) सं० आईडीसी-4 1978-79 फ्रोम जापान" है ।

7. (2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इस के उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुन्डीकर्ता) से प्राप्त एक हुण्ड (डिमान्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुन्डी-ग्राहक और प्राप्तक) को सार्वजनिक सूचना संख्या 184-आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 30-8-1968, संख्या 233-आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक, 24-10-1968, संख्या 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71, संख्या 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और संख्या 103 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 में यथानिर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन परेषण करना चाहिए ।

7. (3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए । चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 103 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना संख्या 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारों (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं ।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना गया है ।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि ।

उसके पश्चात् सी० ए० ए० ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए०ए० को भेजा जाना चाहिए ।

टिप्पणी. भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरापवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि उसके तत्काल बाद सी०ए०ए०ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा ।

7(1) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित 'एम' प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ, बम्बई को भेजना चाहिए।

7(5) बैंक गारन्टी और वित्त मंत्रालय में सी०ए०ए०ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार-पत्र के अनुसार आभारों को पूर्ण करने के बाद भारतीय सम्बद्ध बैंक, बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए सी०ए०ए०ए० से आवेदन कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए आवेदनपत्र अनुबन्ध-7 में दिए गए प्रपत्र में दिया जाना चाहिए।

खण्ड-8 विविध शर्तें :

8(1) साखपत्र खोले जाने के बाद आयातक को पोत लदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में और जो पोत लदान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी०ए०ए०ए० को भेजनी चाहिए।

8(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना :

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत करावें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

8(3) विवाद :

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिएं।

8(4) भविष्य अनुदेश :

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (पण्य वस्तु सहायता) के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :

उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबन्ध 1 पात्र स्रोत देशों की सूची।
अनुबन्ध 2 माल की अभिप्राप्ति और संभरण ठेके को अन्तिम रूप देने के लिए क्रियाविधि।
अनुबन्ध 3 साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र।
अनुबन्ध 4 बैंक गारन्टी प्रपत्र
अनुबन्ध 5 प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र
अनुबन्ध 6 साख-पत्र का प्रपत्र
अनुबन्ध 7 बैंक गारन्टी को रिहा कराने के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र।

अनुबन्ध-1
[संदर्भ : खण्ड-1 कंडिका 1 (5)]

पात्र स्रोत देशों की सूची

क. ओ ई सी डी देश
आस्ट्रेलिया
आस्ट्रिया
बेल्जियम
कनाडा
डेनमार्क
फिनलैण्ड
फ्रांस
जर्मनी संघीय गणराज्य
यूनान
आइसलैण्ड
आयरलैण्ड
इटली
जापान
लक्समबर्ग
नीदरलैण्ड
न्यूजीलैंड
नार्वे
स्वीडन
स्विटजरलैंड
तुर्की
यूनाइटिड किंगडम और
संयुक्त राज्य

ख नान-ओ०पी०ई०सी० विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा :
मिश्र
मोरोको
ट्यूनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा :
अंगोला
बोत्स्वाना
बरूंडी
केमेरुन
केप वर्दी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीकन गणतन्त्र
चाड
कमोरो द्वीप समूह
कांगो, दाहोमे गणराज्य/
भूमध्यवर्ती गिनी
इथोपिया
जाम्बिया
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
कीनिया
लेसोथे
लाइबीरिया
माल्गासी गणतंत्र
मलावी
माली
मारितेनिया
मारिशस
मुजम्बीक
नाइगर
पुर्तगाली गिनी
रियूनियन
रोडेशिया
रवान्दा
सेंट हेलिना और डेप (2)

(1) पहले सोनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डो पो द्वीप सहित
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित : असेन्शन, ट्रिस्टन डा कुन्हा एक्सीसिबिलस, नाइटिन्गेल, गफ
(3) मुख्य द्वीप समूह, अरुबा, बोनाहरे, क्युराकाओ, साबा, सेन्ट इस्टेशिट, सेन्ट, मारटिन (दक्षिणी भाग)।

साम्रोटोम और प्रिन्सिप
सेनेगाल
सेनिलिज
सियरा लियोन
सोमालिया
सूडान
स्वाजीलैंड
टैरा श्राफर्स और इस्साम
टोगो
यूगान्डा
तंजानिया गणतंत्र संघ
श्रपर बोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. श्रफ्रीका, उत्तरी और केन्द्रीय :
बेहमस
बारबाडोज
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकल गणतंत्र
एल साल्वेडोर
ग्वाडेलोप
ग्वाटेमाला
हेती
होन्डूरस
जमैका
मार्टिनिक
मेक्सिको
नीदरलैण्ड्स एंटिलीज
निकारागुआ
पनामा
सेन्ट पियरी और मिकेलोन
ट्रिनिडाड और टोबागो
वैस्ट इंडीज (शाखा) एन०आई०ई०
(क) संबंधित राज्य (1)
(ख) श्राश्रित (2)
वैस्ट इंडीज (ब्रा०) एन०

4. दक्षिणी अमरीका :
अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्कलैंड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरु
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया :
बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
श्रोमन
सिरियाई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमिरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी डी०आर० (4)

6. दक्षिणी एशिया :
श्रफगानिस्तान
बांग्ला देश
भूटान
बर्मा
मालदिव
नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया :
ब्रूनी
हांगकांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाश्रोस
मकाश्रो
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमौर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. श्रोसिनिया :
लोकद्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
नोरु
न्यूकालेडोनिया
न्यूहेब्रिडेस (ब्रि और फ्रे)
नियू
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुआ न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रि)
टोंगो
वालिस और फ़ुतुना
पश्चिमी समोश्रो

---

(1) मुख्य द्वीप : एन्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफी) नेविस श्रंगुइला, सेन्टलूसिया और सेन्ट विंसेन्ट।

(2) मुख्य द्वीप : मोन्टेसरत, सेमान, तुर्क और काइकोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह।

(3) अजमान, डूबल, फुजाइराह, रास अल खेमाह शारजाह और उमअल क्वैन।

(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए, श्रास्ट्रल द्वीप समूह, टुश्रामोट, जाम्बियर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश : कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

9. यूरोप :
- साइप्रस
- जिब्राल्टर
- ग्रीक
- माल्टा
- स्पेन
- तुर्की
- यूगोस्लाविया

2. ओ पी ई सी के सदस्य या सहयोगी देश
- अल्जीरिया
- बोलिविया
- लीबियाई अरब गणतंत्र
- गेबान
- नाइजीरिया
- इक्वेडोर
- वेन्जुएला
- ईरान
- ईराक
- कुवैत
- कातार
- सऊदी अरब
- आबू धाबी
- इन्डोनेशिया

अनुबन्ध 2

पण्यवस्तु ऋण 4 के अन्तर्गत पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन

1. प्रस्तावना

निधि द्वारा प्रदान की गई पण्यवस्तु ऋण 4 की रकम इस मार्गदर्शन में निर्धारित अधिप्राप्ति की क्रियाओं के अनुसार पण्यवस्तु ऋण 4 से संबंधित उनकी आनुषंगिक पण्य वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए पात्र स्रोत देशों के बीच कार्य कुशलता के लिए और बिना किसी भेदभाव के ध्यानपूर्वक उपयोग की जाएगी।

2. अधिप्राप्ति क्रियाविधि का चयन

निधि के ऋण के अन्तर्गत सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियां लागू होंगी :—

(1) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा देना
(2) औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय संविदा देना
(3) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति
(4) सीधी खरीद

(क) सरकार और/या सरकारी अभिकरण द्वारा अधिप्राप्ति के मामले में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा या औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू होगी।

(ख) गैर-सरकारी अधिप्राप्ति के मामले में उपर्युक्त उल्लिखित कोई भी क्रियाविधि लागू हो सकती है।

(ग) किन्तु, निधि नीचे उल्लिखित मामलों में अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या सीधी खरीद के माध्यम से अधिप्राप्ति स्वीकार करने की स्थिति में है;

(1) संविदा की मुद्रा की शर्तों के अनुसार जहां प्रस्तावित संविदा की धनराशि 300,000,000 येन, 1,500,000 यू एस डालर या 800,000 पौण्ड स्टर्लिंग से अधिक नहीं है।

(2) जहां अर्हक संभरकों की संख्या सीमित है।

(3) जहां अन्तर्राष्ट्रीय या उपकरण के मानकीकरण का सुनिश्चय करने के लिए विशेष विशिष्टिकरण, ट्रेड नाम या पदनाम के संदर्भ में, या विशेष डिजाइन की आवश्यकताओं के कारण पण्य वस्तु की खरीद करनी है।

(4) जहां निधि या तो (1) क्रियाविधि (2) या उपर्युक्त (1), (2) और (3) से भिन्न किसी कारण से (उदाहरणार्थ आपात-कालीन अधिप्राप्ति) क्रियाविधि के लिए लागू नहीं समझा जाता।

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी मामले में आयातक इस खण्ड के 1–3 में निर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार अधिप्राप्ति की पात्रता से संबंधित कर्जदार की पुष्टि प्राप्त करेगा। ऋणदाता संविदा की प्रति के साथ संविदा की रिपोर्ट कोष में भेजेगा।

3. संविदा की शर्तें

ऋण के अन्तर्गत वित्तयुक्त किए जाने वाली कोई भी संविदा निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी।

1 पण्यवस्तुओं की शर्तें

चूंकि ऋण का उपयोग पात्र स्रोत देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं के लिए खर्चों का वित्त दान करने के लिए सीमित है इसलिए संविदा विषयक सब पात्र स्रोत देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्य वस्तुएं होंगी और पात्र स्रोत देशों से भारतीय पत्तन को भेज दी जाएंगी। यदि पात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित फार्मूले से तीस प्रतिशत (30%) से कम है तो सूचीबद्ध पण्यवस्तुएं वित्तदान की जाएंगी भले ही वे संविदा की मदों में सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं के अंश के रूप में गैर पात्र स्रोत देशों से आयातित भाग के रूप में शामिल की गई हों। ऊपर उल्लिखित फार्मूला :—

$$\frac{\text{आयातित कीमत} + \text{आयात शुल्क}}{\text{संभरक की जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत}} \times 100$$

2. संभरक की शर्तें

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा, या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा।

3. आयातक की शर्तें

सशस्त्र सेना या उससे मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थानों द्वारा किन्हीं भी पण्यवस्तुओं की अधिप्राप्ति ऋण के अन्तर्गत पात्र नहीं होगी।

4. मुद्रा का मूल्य वर्ग

संविदा क्रमशः एक येन (वाई 1.00) एक सेन्ट (सी 1.00) या एक पैनी (डी० 1.00) से कम किसी भिन्न के बिना ही जापानी येन, यूनाइटिड स्टेट डालर या स्टर्लिंग पौण्ड में निर्धारित की जाएगी और देय होगी।

5. संविदा का मानक प्रपत्र

(क) निधि से वित्तदान की जाने वाली संविदा में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएंगी।

(1) संभरक और आयातक का नाम और राष्ट्रिकता
(2) संविदा की संख्या और दिनांक
(3) पण्य वस्तुओं का नाम और मूल स्थान
(4) संविदा का मूल्य और मात्रा
(5) अदायगी की शर्तें
(6) भुगतान और पोतलदान अनुसूची
(7) अन्य सामान्य विनियमन

(ख) दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप से पुष्टि आदेश द्वारा समर्थित विदेशी संभरक को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश, या उनकी फोटो प्रतियां भी निधि को स्वीकार्य है।

(ग) पात्रता की निम्नलिखित विवरण संभरक द्वारा प्रत्येक संविदा में शामिल किया जाएगा।

"मैं (हम) एतद्द्वारा उल्लेख करता हूं/करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी · (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत है।"

(6) भुगतान

प्रत्येक भुगतान ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख को या बाद में किया जाएगा।

सिद्धांत के रूप में, संभरक को पोतलदान की पूरी धनराशि अपरवर्तनीय साख पत्र के अन्तर्गत संबंधित पोत परिवहन दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के प्रत्येक समय पर अदा की जाएगी।

4. अन्तर्राष्ट्रीय संविदा का टेण्डर देना

जब अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू की जाए तब अन्य नियमों के साथ निम्नलिखित नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति की जाएगी :

(1) विज्ञापन देकर

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाकरण के अधीन सभी संविदाओं में बोली मांगने के लिए भारत में सामान्य रूप से प्रकाशित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में निविदा की जाएगी।

(2) बोलियों के मांगने और उन्हें प्रस्तुत करने के बीच का समय का अन्तराल :

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय बहुत बड़ी सीमा तक संविदा के महत्व और पेचीदगी के ऊपर निर्भर करेगा। सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 30 दिन स्वीकृत किए जाने चाहिए। किन्तु, अनुमित समय प्रत्येक से संविदा से संबंधित हालातों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

(3) बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली खोलने के लिए तिथि, समय और स्थान की बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

(4) बोली बांड और गारंटियां

बोली करने के मामले में, बोली बांड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं, किन्तु इनको इतना ऊंचे स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए जिससे उपयुक्त बोलीकार निरुत्साहित हो जाए।

बोली बाण्ड या गारंटियां बोली खुल जाने के बाद यथाशीघ्र असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिएं।

(5) मापदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

(6) ब्राण्डनामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल ब्रांड नाम, सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पण्य वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती हैं और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

(7) गारंटी और निष्पादन बाण्ड

यदि आवश्यक हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में गारंटी के लिए जमानत के रूप में कोई प्रबन्ध होना चाहिए। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा या निष्पादन बाण्ड द्वारा दी जा सकती है।

(8) निर्धारित क्षति

यदि आवश्यक हो तो जब कभी सुपुर्दगी में फालतू खर्च होता हो, राजस्व की हानि हो या आयातक के लिए अन्य लाभ की हानि हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित क्षति वाक्यांश जोड़े जाने चाहिए।

(9) विवश स्थितियां (फोर्स मेज्यूर)

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करने उस हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों (फोर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा की जानी है)।

(10) झगड़ों का निपटान

झगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ-निर्णय के नियमों" या भारतीय एवं समुद्रपार के संभरक दोनों को स्वीकार्य होने वाली व्यवस्थाओं पर आधारित होने चाहिए।

(12) मूल्यांकन

अनुबन्ध 3

[संदर्भ खण्ड-5-कंडिका (5)(1)]

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

विषय :—1978-79 के लिए संख्या आई०डी०सी०-4 के लिए · · · · · · · · · · · · · · · · · · येन क्रेडिट (पण्य वस्तु सहायता) के अन्तर्गत जापान से · का आयात।

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट (पण्य वस्तु सहायता) (ऋण करार संख्या आई डी-सी-4) के अधीन जापान से · के आयात के सम्बन्ध में · · · · · · · · · · · · · · · (बैंक का नाम वही होना चाहिए जो नीचे (ड) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साख पत्र खोलने के लिए दिया गया है) को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई

हो तो कारण सहित यह संकेतिक होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण ।

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) यदि कोई हो, तो पात्र से इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत ।

(छ) संविदा का मूल्य येन/अमरीका डालर/ पौंड स्टर्लिंग में इस बात का साफ-साफ संकेत होना चाहिए कि क्या यह लागत तथा भाड़ा या लागत-बीमा-भाड़ा है ।

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि और समुद्रपार के संभरकों को भुगतान किए जाने वाला येन/अमरीका डालर पौंड में वास्तविक मूल्य ।

(झ) वह मूल्य (येन/अमरीकी स्टर्लिंग/पौंड में) जिसके लिए प्राधिकार-पत्र के लिए अनुरोध किया गया है ।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ संविदा की संख्या एवं दिनांक ।

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता

(ठ) दे भुगतान शर्तें और लगभग तिथियां जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि ।

(ढ) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता (वही बैंक होगा जिसने बैंक गारन्टी भेजी है) ।

(ण) जिस अवधि तक वैध है उसे दर्शाते हुए बैंक गारन्टी की संख्या, दिनांक और मूल्य ।

(त) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत यह आई सी एफ का अधिसूचित की गई है ।

हस्ताक्षर.................

अनुबन्ध 4

[संदर्भ खण्ड-5 कंडिका-5(2)]

गारन्टी बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

येन क्रेडिट (पण्य सहायता) संख्या आई डी सी-4 की शर्तों के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस संख्या.......................... दिनांक.............. के आधार पर..........................

(जिसे बाद में आयात कहा गया है)

द्वारा.................. के आयात के लिए भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें बाद में "सरकार" कहा गया है) के हेतु भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए हम...................... बैंक आयातक की प्रार्थना पर, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उचित लेखा शीर्ष में सरकारी लेखे में जमा करने के लिए भुगतानों की सूचना पावती की तिथि से दस दिनों के भीतर बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा व्यय की गई धनराशि को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निश्चित अनुसार अथवा सार्वजनिक सूचनाएं/ए डी परिपत्र में समय-समय पर अधिसूचित के अनुसार परिवर्तित मिश्रित दर के हिसाब से और इस धनराशि में समुद्र पार संभरक को भुगतान होने की तिथि से सरकारी खाते में समतुल्य रुपया जमा होने की तिथि तक की अवधि पर प्रथम 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जोड़ कर और इससे अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15% वार्षिक दर से ब्याज को जोड़ कर धनराशि जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं । बैंक आफ इंडिया, टोकियो से प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट आयातक को तभी लौटाया जाएगा जबकि उपयुक्त अपेक्षित रुपया जमा कर दिया गया हो ।

2. हम दि.............................. बैंक, समय-समय पर ऐसे स्थान और ऐसी रीति से जो सरकार निर्दिष्ट करें, आयातक द्वारा सरकार को देय अथवा चुकाने योग्य किसी धनराशि को जो .... रुपये में अधिक न हो या निश्चित समय के भीतर आयातक द्वारा देय या चुकाने योग्य धनराशि के किसी भाग को और समुद्र पार संभरक को भुगतान करने की तिथि से 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और इससे अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज को न चुकाने से आयातक की त्रुटि होने पर स्वयं क्षतिपूर्ति करने का और सरकार की क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का भी वचन देते हैं । उक्त भुगतान में आयातक द्वारा या उसकी तरफ से किसी प्रकार की त्रुटि और हमारे.............................. बैंक द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और हमारे .... बैंक पर लागू होगा ।

3. हम........................ बैंक, आगे इस बात पर सहमत है कि संविदा के अन्तर्गत आयातों के मूल्य में या जो माल छुड़ाया जाता है उसके मूल्य में उपयुक्त पैरा एक में उल्लिखित मुद्रा विनिमय के मिश्रित दर में परिवर्तन होने की स्थिति में, जबसे परिवर्तन हुआ है इस परिवर्तन के अनुपात में इस बैंक गारन्टी बांड की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा ।

4. हम........................ बैंक, आगे सहमत हैं कि इसके अन्तर निहित यह गारन्टी उक्त करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक इसके अन्तर्गत सरकार को देय सब बकाया पूर्णरूपेण नहीं चुकाए जाते और इस गारन्टी की हैसियत से दावों का पूर्ण नहीं कर दिया गया हो या ये अदा नहीं कर दिए गए हों ।

5. इस गारन्टी पर आयातक या दि.......................... बैंक, के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारन्टी को प्रभावित किए बिना आयातक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय या समय-समय के लिए स्थगित करे और पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में या आयातक को दिए जा रहे समय के कारण या सरकार की ओर से किसी अन्य स्थान, निर्णय या छूट या सरकार द्वारा आयातक पर किसी अनुग्रह या कानून के अन्तर्गत प्रतिभूतियों से संबन्धित कोई भी मामला या वस्तु जो इस परन्तुक के लिए दि.............................. बैंक को इसके दायित्वों से मुक्त करने के लिए प्रभाव डाले, सरकार द्वारा इन मामलों में किसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग करने से इस गारन्टी के अन्तर्गत दि.............................. बैंक, अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा ।

6. हम.............................. बैंक अन्त में यह वचन लेते हैं कि सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना इस गारन्टी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे ।

7. इस बांड/गारन्टी के अन्तर्गत हमारा दायित्व.............. रुपए (ब्याज और कमीशन प्रभार जिसकी आशा गारन्टी की धनराशि के एक प्रतिशत से अधिक होने की नहीं है ।) तक प्रतिबन्धित है और यह

गारन्टी दिनांक················तक और जब तक इस तिथि से 6 महीनों के भीतर इस गारन्टी के अन्तर्गत दावे पूर्ण नहीं कर लिए जाते और जब तक अगले 6 महीनों के भीतर इन दावों को लागू करने के लिए आवेदन या कार्यवाई नहीं की जाती, तब तक लागू रहेगी। इसके बाद अर्थात् दिनांक·························तक इस बांड/गारन्टी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकार समाप्त हो जाएंगे और उसके अन्तर्गत हमारे सब उत्तरदायित्वों से हमें छुटकारा और कार्य मुक्ति मिल जाएगी।

दिनांक············ 1977

कृते··················बैंक

हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री··········

(नाम तथा पदनाम)

हस्ताक्षर

**जिस तिथि तक साख-पत्र को वैध रखने की आवश्यकता होती है उस तिथि में एक महीना जोड़कर यह तिथि गिनी जाएगी।

टिप्पणी:—जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारन्टी कार्यान्वित की जाती है उसके मूल्य का निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत स्टाम्प समाहर्ता द्वारा किया जाता है।

अनुबन्ध 5

[संदर्भ खण्ड-6 कंडिका 6(1)]

निजि क्षेत्र के आयातकों के लिए

प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र

संख्या-एफ·······································

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली दिनांक·············

सेवा मे,

···················

(भारतीय आयातकों का बैंक)

विषय:—येन क्रेडिट (पण्य वस्तु सहायता) ऋण करार संख्या-आई डी सी-4 के अधीन आयात साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र का निगमन आयात लाइसेंस संख्या··························

दिनांक················

प्रिय महोदय,

आपको बैंक गारन्टी संख्या·············दिनांक········ और सवश्री ··················(आयातक) के पत्र संख्या···· ·········दिनांक··················जिसमें उन्होंने आपके बैंक के माध्यम से येन क्रेडिट (पण्यवस्तु सहायता) संख्या आई डी सी-4 के अन्तर्गत साख-पत्र खोलने के लिए अनुमति मांगी है, के सन्दर्भ में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बैंक आफ इंडिया को··············· येन/यू०एस० स्टर्लिंग/पौण्ड तक समुद्र पार संभरकों को भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करते हुए जारी किए गए प्राधिकारपत्र (कालम इस अनुबन्ध 5 के परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है) संख्या················ दिनांक ············को (एक अतिरिक्त प्रति के साथ) संलग्न करता हूं आपको यह प्राधिकार पत्र आपके द्वारा खोले गए साख-पत्र के साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा को भेजना चाहिए।

2. आपको इस पत्र की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अधिक से अधिक ················येन तक की धनराशि के लिए साख-पत्र खोलने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। इसकी सूचना इस विभाग को दी जाए। मुद्रा विनियम नियंत्रण नियम पुस्तिका के खण्ड-7 के पैरा 10 की शर्तों के अनुसार आपके लिए यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि साख-पत्र समाप्ति की तिथि संबन्धित आयात लाइसेंस में पोतलदान के लिए यथा उल्लिखित अन्तिम तिथि या प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट तिथि जो भी इनमें पहले हों। साख-पत्र खोलने के पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आयातकों के पास वैध आयात लाइसेंस है।

3. आपके द्वारा खोले गए साख-पत्र में एक धारा यह होगी कि यह साख-पत्र केवल बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा अनुमोदित होने पर ही प्रभावी होगा। इसलिए साख-पत्र इस निवेदन के साथ इसी बैंक के माध्यम से खोला जाता है कि यह बैंक इस सम्बन्ध में अपना अनुमोदन साख-पत्र के साथ लगा दें कि येन क्रेडिट (पण्य वस्तु सहायता) संख्या-आई डी सी-4 की शर्तों के अनुसार दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर यह भुगतान करने का वचन देता है। अपना अनुमोदन देने के बाद बैंक आफ इंडिया, टोकियो साख-पत्र को समुद्रपार संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से भेजेगा।

4. साख-पत्र की धनराशि इस मंत्रालय से विशिष्ट प्राधिकरण किए बिना नहीं देना चाहिए।

5. बैंक आफ इंडिया, टोकियो के बैंक खर्चे, ब्याज खर्चे और समुद्रपार संभरकों के बैंकरों के खर्चे, यदि कोई होंगे, तो वे आपके द्वारा सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से सीधे बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भेजे जाएंगे।

6. आपसे प्रार्थना की जाती है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो से दस्तावेज प्राप्त होने से 10 दिनों के भीतर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई गारन्टी के अनुसार समुद्रपार संभरकों को येन में चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या 8-आई टी सी (पी एन) 76 दिनांक 17-1-76 के अनुसार या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। उपर्युक्त धनराशि के साथ संभरकों को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक के बीच की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 46-आई टी सी (पी एन) 76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15% की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाता है अर्थात् वह तिथि जिसको समुद्रपार संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी।) इन धन राशियों को आयातक की आयात दस्तावेज देने से पहले यथार्थ रूप से जमा करने के लिए व्यवस्था करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

7. ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (आवेदक) से आपके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आदाता) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुंडी के माध्यम से प्रेषित करनी चाहिए। इस संबन्ध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 233-आई टी सी (पी एन) 68, दिनांक 24-10-68 और संख्या 184 आई टी सी (पी एन) 68, दिनांक 30-8-68 और संख्या 132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 तथा संख्या 75-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और संख्या 103 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है लेखा शेष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एंड एडवांसिस 834 सिविल डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसेट्रा फ्रोम एब्रोड-परचेजिज

अन्डर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट क्रेडिट्स फ्रोम गवर्नमेंट आफ जापान अन्डर डिटेल्ड है येन क्रेडिट (पण्य वस्तु सहायता) संख्या आई टी सी 4 फार 1978-79 फ्रोम जापान है।

8. जिन मामले में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या 132–आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद में जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि जमा की गई धनराशि बताते हुए और इस पत्र का संदर्भ देते हुए एक अग्रेषित पत्र के साथ आपके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग),
यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,

पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001.

जिस मामले में तुल्य रुपया उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना सं० 233 आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्णनी हुंडी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्यौरा सभी मामलों में इस विभाग में प्रस्तुत करना चाहिए। कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. सर्वश्री ··················आयातक··················
सूचनार्थ उनके उद्धृत पत्र के संदर्भ में प्राधिकार पत्र की एक प्रति भी संलग्न की जाती है।
2. बैंक आफ इंडिया, टोकियो को सूचनार्थ और दिनांक को भारत सरकार के साथ उनके समझौते की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्यवाई के लिए।
3. निदेशक, ऋण विभाग-2 समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, आईनो बिल्डिंग, 1–1 यू जिमे चा ए यू 2 केमि–चियोदा, टोकियो।
4. भारत का राजदूतावास, टोकियो सूचनार्थ।
5. अवर सचिव (डब्ल्यू ई-1 शाखा) आर्थिक कार्य विभाग को प्राधिकार पत्र प्रति के साथ उनके पत्र संख्या··················
दिनांक··················के संदर्भ में।

लेखा अधिकारी

अनुबन्ध 5 का परिशिष्ट 1

प्राधिकार पत्र संख्या
संख्या : एफ
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय:—येन क्रेडिट (पण्य वस्तु सहायता) ऋण करार सं० आई टी सी 4 के अधीन आयात साख-पत्र के अनुमोदन के लिए प्राधिकार पत्र का निर्गमन।

प्रिय महोदय गण,

आपके बैंक के साथ··················को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार हम एतद्द्वारा आपको (भारतीय आयातक) द्वारा की गई संविदा के आधार पर··················के आयात के लिए (समुद्रपार संभरक) के पक्ष में··················येन के लिए (भारतीय बैंक) द्वारा खोला जाने वाला साख-पत्र जो लाभग्राही को भेजा जाना है, के अनुमोदन के लिए और इस साख-पत्र के अन्तर्गत अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर उक्त साख-पत्र के अधीन धनराशि चुकाने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

2. प्रत्येक भुगतान के बाद, पोतलदान और दूसरे दस्तावेज (परा-क्राम्य) (भारतीय बैंक) को भुगतान सूचना के साथ सीधे भेजे जाएं और ओ ई सी एफ को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए चुकाई गई धनराशियों की प्रतिपूर्ति के लिए आपको तुरन्त दावा करना चाहिए। जब और जैसे ही आप कोई भुगतान करें और आपको कोई धन वापसी मिले तो उसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय को भेजनी चाहिए।

3. आपके बैंक का शुल्क और जापानी संभरकों के बैंकों का शुल्क यदि कोई होगा और उपर्युक्त साख-पत्र के अधीन ब्याज का खर्च (भारतीय बैंक) द्वारा सीधे आपके साथ तय किया जाएगा।

4. यह प्राधिकार पत्र··················तक वैध रहेगा।

भवदीय,
लेखा अधिकारी

अनुबन्ध 6
[संदर्भ खंड 6 कंडिका 6(ii)]

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

दिनांक ··················
साख-पत्र की सं०··················
यह प्राधिकार पत्र (ऋण) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि टोकियो, जापान के बीच हुए ऋणकरार संख्या··················
दिनांक··················
अनुसरण में जारी किया गया है।

सेवा में,

··················
··················
(परामर्श देने वाले बैंक का नाम और पता)

प्रिय महोदय,

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप (संभरक का नाम और पता) को परामर्श करें कि हमने अपना अपरिवर्तनीय साख-पत्र संख्या·········· उनके नाम में (टोकियो में नामोदिष्ट विदेशी मुद्रा बैंक) के नामे बीजक के पूरे मूल्य के लिए आयातकर्ता की वर्णनी हुंडी द्वारा उपलब्ध धनराशि या धनराशियों के लिए जो लगभग··················येन यू० एस० डालर/पौंड धनराशि (··················येन/डालर/पौंड कह सकते हैं) से अधिक नहीं है के लिए (खरीददार का नाम) के खाते के लिए खोल दिया है। इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक
पैकिंग सूची
उद्गम का प्रमाणपत्र

क्लीन आन बोर्ड समुद्री पोत लदान बिल, जिनमें दिए आदेश का पूरा सैट हो। ब्लैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फ्रेट" एवम "नोटिफाई" (प्रलेखों से भिन्न)

जिसमें··················से··················तक लदान का सत्यापन किया गया हो (संविदा संख्या के संदर्भ में माल का संक्षिप्त विवरण। आंशिक पोतलदान स्वीकृत है। ··················स्वीकृत है। यानान्तरण यदि पोतलदान बिल जो··················19 से बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए आदेशिती को ड्राफ्ट··················19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

"अपरिवर्तनीय साख पत्र संख्या............. दिनांक .... 19 के अन्तर्गत (जारी करने वाले बैंक का नाम) निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या (संख्याएं) (यदि कोई हो)" यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एतदद्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट, प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फार डाकूमेन्टरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन), इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन नं० 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :

1. यह क्रेडिट तभी प्रभावी होगा जब (टोकियों में नामजद विदेशी मुद्रा बैंक) ने उक्त ऋण करार के अन्तर्गत विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा वचन पत्र प्राप्त करने की सूचना दे दी है।

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा वचन पत्र के परिशोधनों के अनुसार प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद (टोकियो में नामजद विदेशी मुद्रा बैंक) आपके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ड्राफ्ट की धनराशि को वापस करने का वचन देता है।

2. आपको प्रमाण पत्र सहित ड्राफ्ट और दस्तावेजों के पूरे सैट यह बताते हुए अवश्य ही (टोकियो में नामजद विदेशी मुद्रा विनिमय बैंक) को भेजने चाहिए कि शेष दस्तावेज हमारे द्वारा सीधे ही हवाई डाक द्वारा भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक प्रभार उक्त ऋण करार के अन्तर्गत लेखे (आयातक के) में ले लिए जाते है।

भवदीय,

(जारी करने वाले बैंक का नाम)

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

अनुबन्ध 7

[खण्ड-7, कंडिका-7(5)]

बैंक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूसीओ बैंक बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001

महोदय,

हम .... रुपये के लिए बैंक गारंटी संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत अपने दायित्व के अनुपालन में हमारे द्वारा जमा किए गए रुपये की विस्तृत सूचना नीचे इस आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहे है कि बैंक गारंटी रिहा की जाए और हमें लौटाई जाए :—

1. जिसकी ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी उस आयातक/लाइसेंसधारी का नाम और पूरा पता।

2. आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक, मूल्य उसके अधीन आयात के लिए अनुमेय किए गए उपस्कर और/या पण्य वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण।

3. साख-पत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण ब्यौरे (प्रत्येक प्राधिकरण पत्र के लिए अलग से ब्यौरा दिया जाना है)

(क) पत्र संख्या और दिनांक

(ख) प्राधिकरण की धनराशि

(ग) जापानी येन क्रेडिट की संख्या

4 आयातों के और जमा किए गए रुपये के ब्यौरे (प्रत्येक साख-पत्र प्राधिकरण के लिए अलग से ब्यौरा दिया जाना है) :—

(क) खोले गए साख-पत्र के ब्यौरे (संख्या, दिनांक मूल्य/संभरक का नाम)

(ख) बीजक की संख्या और प्रत्येक साख-पत्र से संबंधित दिनांक

(ग) बीजक की धनराशि (वास्तविक), येन/यू० एस० स्टर्लिंग/पौण्ड में

(घ) जमा किए गए रुपए की धनराशि

(ङ) संबंधित चालान संख्या और दिनाक और राजकोष/बैंक का नाम

(च) यदि रुपए दर्शनी हुण्डी द्वारा जमा किया गया है तो दर्शनी हुण्डी की संख्या और दिनांक और जिस पत्र के साथ दर्शनी हुण्डी, स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली को भेजी थी उसकी संख्या और दिनांक।

5. प्रत्येक साखपत्र प्राधिकरण में उपयोग की गई और बिना उपयोग की गई शेष धनराशि (येन/यू० एस० स्टर्लिंग/पौंड)

2. हम प्रमाणित करते हैं कि :—

(1) *वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए प्राधिकरण (णों) में उपलब्ध .... येन की शेष धनराशि उपयोग नहीं की गई/उपयोग नहीं की जाएगी

अथवा

प्राधिकरण (णों) और यथा विधि प्राधिकरणों (के अन्तर्गत कोई साख-पत्र नहीं खोला गया था)

अथवा

साख-पत्र बिना उपयोग किए समाप्त हो गए। प्राधिकरण पत्र (पत्रों) के आधार पर खोला गया था और,

(2) विषयाधीन बैंक गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व विधिवत् पूर्ण हो गया है।

3. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो का ब्याज बैंक शुल्क, इस सौदे से संबंधित जापानी संभरकों के बैंकरों का शुल्क बैंक आफ इंडिया, टोकियो को हमारे द्वारा भेज दिया गया है।

4. हम आवेदन करते हैं कि कृपया बैंक गारंटी रिहा की जाए और निरस्त करने के लिए हम को लौटा दी जाए।

भवदीय,

(बैंक के लिए और बैंक की और प्राधिकृत अभिकर्ता)

*जो भी लागू हो।

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पी एस)/79 दिनांक 22-1-1979 का परिशिष्ट-II

विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओईसीएफ) द्वारा प्रदान किए गए 1978-79 के लिए येन ऋण (पण्य सहायता) आईडीसी-4 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्ते।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें

जापान की विदेश आर्थिक सहकारिता निधि (ओईसीएफ) द्वारा स्वीकृत 1978-79 के लिए येन पण्य क्रेडिट ओ ई सी डी और विकासशील देशों के लिए बंधन मुक्त है। तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान

और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती है। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे। लेकिन, यदि लाइसेंस के अधीन आयात की गई पण्य वस्तुओं में ऐसे घटक हैं जिनका मूल रूप से उत्पादन आयात स्रोत देश या देशों से हुआ है तो संभरण ठेके का समझौता वार्ता करते समय आयातक को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि संभरण ठेके के देश में आयात किए गए ऐसे घटकों का, आयात शुल्क सहित कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य संभरण ठेके के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में 30% से कम है। ऐसे मामले में संभरकों से इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे संभरण ठेके में संलग्न कर देना चाहिए।

1(2). लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं० आई-डीसी-4" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिये लाइसेंस संकेत "एस/जे० एन०" होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस के अग्रेषित पत्र में भी दुहराए जायेंगे।

1(3). बैंक खर्चे, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपए में भारत में चुकाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिये लाइसेंस पर ही प्रभारित किये जायेंगे।

1(4). आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई-1 अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5). पक्के आदेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई-1 अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों या क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश/और या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकरणीय नहीं है।

1(6). चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू० ई-1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई-1 अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों के संबंध में बैंक गारंटी साख-पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार-पत्र, तुल्य रुपया जमा कराने की स्वीकृति आदि की सुविधाओं की अनुमति दें।

1(7). आयात लाइसेंस की समाप्ति से एक महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिएं। माल के पोत-लदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिएं। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोत-लदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए :—

"साख पत्र की प्राप्ति के बाद .... महीने परन्तु अधिक से अधिक .... के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।"

पोत-लदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि .... के बाद की न हो।

खण्ड-2—संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखे जाने वाली विशेष बातें :

2(1) (क). ठेके का मूल्य येन या यू० एस० डालर या पौंड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेंट या एक पेनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपये में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत, बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किये गये भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

(ख) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिए।

2(2). मूल्य में 30 करोड़ येन या 15,00,000 यू० एस० डालर या 8,00,000 पौंड मूल्य तक (भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को छोड़कर) के अलग-अलग आयातों के लिए लाइसेंसधारी संभरकों से सीधे ही खरीददारी करने के लिए स्वतन्त्र है उसे अनुबन्ध-1 में सूचीबद्ध देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

2(3). लेकिन, जिस मामले में संभरण ठेके के मूल्य उपर्युक्त 2(2) में निर्धारित सीमा से अधिक हो जाते हैं (भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को छोड़कर) तो उसमें अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियों में से किसी एक का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करना चाहिए :—

(क) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(ख) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(ग) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।

2(4). पात्र स्रोत देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अधिप्राप्ति के किसी भी सदर्भ का अर्थ, जैसा भी मामला हो, निविदा अथवा अधिप्राप्ति से होगा। औपचारिक प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या प्रत्यक्ष खरीददार खरीदारी के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि से उन मामलों में छूट दी जा सकती है जिनमें :—

1. पात्र संभरकों की एक विशेष देश में या देशों की सीमित संख्या में विद्यमान हो।

2. पारस्परिक अदल-बदल का या उपस्कर के मानकीकरण का सुनिश्चय करने के लिए या डिजाइन की विशेष आवश्यकताओं के कारण एक विशेष विशिष्टिकरण, व्यापार नाम या पदनाम के संदर्भ में पण्य वस्तु की खरीदारी आवश्यक हो ।

3. खरीदारियां आपातकालीन अधिप्राप्ति की श्रेणी में आती हों । इसलिए, लाइसेंसधारी को सलाह दी जाती है कि जिस मामले में उपर्युक्त पैरा 2(3) के (क) और (ख) की क्रियाविधि का सहारा नहीं लिया जा सकता है उसमें आर्थिक कार्य विभाग को संदर्भ भेजना पड़ेगा जो कि ऐसे प्रत्येक मामले पर पात्रता के आधार पर विचार करेगा ।

2(5). जिस मामले में औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने की क्रियाविधि का सहारा लिया जाता है उसमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए :—

(क) बोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाली कम से कम एक अखबार में विज्ञापित करने पड़ेंगे ।

(ख) बोली के बांड या बोली लगाने की गारन्टी सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले हतोत्साह हो जाएं ।

(ग) बोली खुल जाने के बाद बोलीकारों को यथाशीघ्र बोली बांड या गारन्टियां रिहा कर देनी चाहिएं ।

2 (6). विदेशी संभरकों को भुगतान की व्यवस्था, ओ०ई०सी०एफ० येन क्रेडिट (पण्य वस्तु सहायता) सं० आई डी सी 4, 1978-79 के अधीन भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा आयातक के नाम में खोले जाने वाले अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से होनी चाहिए जिसके ब्यौरे नीचे खंड 6 में दिए गए हैं ।

2(7). आयात लाइसेंस के मद्दे केवल एक संविदा प्रविष्ट की जानी चाहिए । विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए ।

2(8). संभरक की पात्रता :

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा ।

खण्ड-3—संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें :

3(1). संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए :—

3 (क). ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच येन ऋण संख्या आईडीसी-4 (पण्य सहायता) से सम्बन्धित 6 अक्तूबर, 1978 को हुए समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह उक्त ऋण के अन्तर्गत वित्तदान के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा ।

3 (ख). संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच येन ऋण संख्या आईडीसी-4 (पण्य सहायता) से संबंधित 6-10-78 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किए जाएंगे ।

3 (ग). विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओईसीएफ द्वारा येन ऋण व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अपेक्षित हों ।

3(घ). नीचे संकलित प्रपत्र (तीन प्रतियों में) में एक प्रमाण-पत्र :—

"मैं (हम) एतद्द्वारा यह स्पष्ट करता हूं/करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी .... (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और शामिल हुए न्यायिक व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित है ।"

3(2). उस मामले में जिसमें संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण ठेके में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक, भारतीय दूतावास टोकियो के परामर्श से पोत-लदान की व्यवस्था करने को तैयार है और इसके लिए सम्बन्धित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए 4 मास पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवायेगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए । विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक यह चाहता हो तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है । आवश्यक ब्यौरे देते हुए प्रत्येक पोत-लदान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केबल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

खण्ड 4—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन :

4(1). पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंसधारी को दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या विदेशी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश और विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में उसके पुष्टिकरण की चार प्रतियां, जो सब प्रकार से पूर्ण हों, सम्बन्धित वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित और अनुबन्ध-3 में संलग्न प्रपत्र में एक आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) के साथ साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकरणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हुए भेजने चाहिएं ।

यदि किसी मामले में ठेका औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने या अनौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने पर आधारित हो तो निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में भेजना चाहिए :—

(1) उस अखबार का नाम जिसमें बोली का विशिष्टिकरण प्रकाशित किया गया था,

(2) उन पार्टियों का नाम जिन्होंने निविदा पूछताछ के प्रति बातचीत की ।

(3) यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या यह क्रियात्मक रूप से निम्नतम उपयुक्त बोली है, एक विशेष बोली (प्रस्ताव) चुनने का कारण ।

टिप्पणी :— पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति और आपूर्ति संविदा ...... का विस्तृत ब्यौरा अनुबन्ध-2 में देखें ।

4(2). यदि ठेके के दस्तावेज, प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र, बैंक गारंटी और अन्य संबंधित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई-1 अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और उसे विदेशी आर्थिक सहयोग निधि को उनकी इस जानकारी के लिए अधिसूचित करेगा कि ठेके के लिए वित्त दान येन क्रेडिट (पण्य वस्तु सहायता) के अन्तर्गत किया जाएगा और साथ-साथ दस्तावेजों का एक सेट नियंत्रक, सहायता लेखा व लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय, यू.को.ओ. बिल्डिंग, पहली मंजिल, संसद मार्ग, नई दिल्ली को सापेक्षित प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए भेजेगा । इस पत्र व्यवहार की एक प्रति सूचना के लिए लाइसेंसधारी को भी भेजी जाएगी ।

ठेके का अनुमोदन करने वाली उपर्युक्त क्रियाविधि इसी प्रकार प्रत्येक ठेके संशोधन पर लागू होगी ।

खण्ड-5—विदेशी संभरक को भुगतान-साखपत्र क्रियाविधि :

5(1). उपर्युक्त पैरा 4(2) में उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग,

वित्त मंत्रालय, यूनीओ बैंक बिल्डिंग, पहली मंजिल संसद मार्ग, नई दिल्ली (जिन्हें सुविधा के लिए इसके बाद सी० ए० ए० ए० कहा गया है)।

अनुबन्ध-5 के रूप में संलग्न प्रपत्र में सम्बद्ध विदेशी संभरक के पक्ष में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए बैंक आफ इंडिया की टोकियो शाखा को सम्बन्धित अनुबन्ध-4 के रूप में संलग्न प्रपत्र में एक प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे और उसकी एक प्रति ओईसीएफ, भारतीय दूतावास टोकियो आयातक का भारतीय बैंक, डब्ल्यू ई-1 अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित करेंगे।

5(2). प्राधिकार-पत्र प्राप्त होने पर बैंक आफ इंडिया, टोकियो, संबद्ध विदेशी संभरक के नाम में एक अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलेगा और उसकी एक प्रति ओईसीएफ, भारतीय दूतावास टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सी०ए०ए०ए० को प्रेषित करेगा (यह ध्यान में रखना चाहिए कि येन क्रेडिट व्यवस्था के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के आयात के केन्द्रीय सरकार विभाग, राज्य सरकार विद्युत बोर्ड के सम्बन्ध में साखपत्र केवल बैंक आफ इंडिया की टोकियो शाखा द्वारा ही खोले जाएंगे)।

सी० ए० ए० ए० से प्राधिकार-पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार-पत्र/साख-पत्रों के संशोधनों पर इसी प्रकार से लागू होगी।

5(3). माल का पोत-लदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और इसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5(4). साख-पत्र खोलने के लिए, उसके अधीन मोल-तोल करने के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को देय बैंक खर्चे विदेशी संभरकों के बैंकर का खर्च यदि कोई हो और बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा विदेशी संभरकों को आयातों की लागत के भुगतान की तिथि से ओ० ई० सी० एफ० द्वारा उस लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति की तिथि तक बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय ब्याज खर्चे भारत में आयातक के संबद्ध बैंक द्वारा, बैंक आफ इंडिया टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन, केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा आयात के संबंध में बैंक आफ इंडिया, टोकियो भारतीय दूतावास, टोकियो से इन खर्चों को वसूल करेगा।

खण्ड-6—रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व :

6(1). मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक (जो अनुबन्ध-3 में उल्लिखित है) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना राज्य सरकार और विद्युत बोर्ड सम्बद्ध को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू० एस० डालर/पौण्ड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपया और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना संख्या-46 आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन यू० एस० डालर/पौंड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपये की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का सम्बद्ध भारतीय बैंक का उत्तरदायित्व होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सिज 843 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फोर परचेजिंग एटसेक्ट्रा एब्राड परचेजिज अन्डर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट्स क्रेडिट्स फ्रोम दि गवर्नमेन्ट आफ जापान अन्डर दि डिटेल्ड हेड येन क्रेडिट (कमोडिटी एड) न० आईडी-सी-4 फोर 1978-79 फ्रोम जापान" है।

6(2). उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुन्डीकर्ता) से प्राप्त एक हुन्डी (डिमान्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुन्डी ग्राहक और प्रापक) को सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पीएन) 68, दिनांक 30-8-68, सं० 233-आईटीसी (पी एन) 68, दिनांक 24-10-1968, सं० 132-आईटीसी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन परेषण करना चाहिए।

6(3). सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण-ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिएं:—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक;

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं;

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि;

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना गया है;

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि
(ब्याज की गणना विदेशी सम्भरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जाती है ।)

उसके पश्चात् सी ए ए ए द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए ए को भेजा जाना चाहिए ।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक आफ इंडिया टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरापवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी ए ए ए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा ।

6(4) भारत में सम्बद्ध बैंक आफ इंडिया, को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को भेजना चाहिए ।

6(5)(क) केन्द्रीय सरकार के विभाग द्वारा आयात के मामले में बैंक आफ इंडिया, टोकियो, भारत में अपने प्राधिकृत बैंकर को माल-तौल पोत परिवहन के दस्तावेज भेजेगा जैसा कि संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतिक किया गया है और बदले में बैंकर इस बात का सुनिश्चय करेगा कि विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में इस खण्ड के अन्य पैरा में उल्लिखित ढंग से पैसा जमा करा दिया है लेकिन केन्द्रीय सरकार के विभाग द्वारा आयात के मामले में देय तुल्य रुपये में ब्याज खर्चे की वापसी की व्यवस्था नहीं लागू होगी। (बैंक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के विभाग से जमा रुपये के निर्धारण की प्रक्रिया को बताते हुए देखिए भारत सरकार वित्त मंत्रालय परिपत्र सं० एफ 45(30)-ईमीए/73 दिनांक 21-4-76(ख) भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा किए गए बैंक और ब्याज खर्चे आदि के आधार पर येन के समतुल्य रुपये की भुगतान की गणना भी ऊपर उल्लिखित ढंग से की जाएगी और मुख्य लेखा अधिकारी विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में जमा किया जाएगा जिसके लिए सी ए ए ए उचित सूचना जारी करेगा।

खण्ड-7 विविध शर्तें

7(1). साख पत्र खोले जाने के बाद आयातक को पोत लदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में और जो पोत लदान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी ए ए ए ए आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

7(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

7(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नही लेगी। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिएं।

7(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (पण्य वस्तु सहायता) के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा ।

7(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध—1 पात्र स्रोत देशों की सूची

अनुबंध—2 माल की अधिप्राप्ति की विस्तृत क्रियाविधि

अनुबंध—3 साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र

अनुबंध—4 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

अनुबंध—5 साख-पत्र का प्रपत्र ।

अनुबंध-1

[संदर्भ : खण्ड-1 कंडिका 1 (5)]

पात्र स्रोत देशों की सूची

क. ओ ई सी डी देश

आस्ट्रेलिया
आस्ट्रिया
बेल्जियम
कनाडा
डेनमार्क
फिनलैंड
फ्रांस
जर्मनी संघीय गणराज्य
यूनान
आइसलैंड
इटली
जापान
आयरलैंड
लक्समबर्ग
नीदरलैंड
न्यूजीलैंड
नार्वे
स्वीडन
स्विटजरलैंड
तुर्की
यूनाइटिड किंगडम और
संयुक्त राज्य

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख-1) नान-ओ० पी० ई० सी० विकासशील देश

1 अफ्रीका, उत्तरी सहारा
मिश्र
मोरोक्को
तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा
अंगोला
बोत्सवाना
बरन्डी
केमेरून
केप वर्डी द्वीप समूह

केन्द्रीय अफ्रीकन गणतन्त्र
चाद
कमोरो द्वीप समूह
इथोपिया
जाम्बिया
कांगो, दमोह गणराज्य
इक्वेटोरियल गाईना
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
कीनिया
लैसोथे
लाइबीरिया
मालागासी गणतन्त्र
मलावी
माली
मारितेनिया
मारीशस
मोजाम्बीक
नाइगरा
पुर्तगाली गिनी
रियुनियन
रोडेशिया
रवान्दा
सेंट केलिना और डेम (2)
साओटोम और प्रिन्साइब
सेनेगाल
सेजिलिज
सियरा लिओन
सोमालिया
सूडान
स्वाजीलैंड
टेरों आपर्स और इस्सास
टोगों
युगान्डा
तंजानिया गणतंत्र संघ
अपर वोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अफ्रीका उत्तरी और केन्द्रीय
बेहमस
बारबाडोज
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल साल्वेडोर
गुवाडेलोप
ग्वाटेमाला
हेती
होन्डूरस
जेमैका
मार्टिनिक
मेक्सिको
नीदरलैंड एंनटिलीज
निकारागुवा
पनामा

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डो पी द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :--

असेन्शन, ट्रिस्टन डा इन एकर्तेसिविल्स, नाइटिन्गेल गफ।

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरुबा, बोनाइरे क्युराकाओं साहा, सेन्ट मारटिन (दक्षिण भाग)

सेन्ट पियरी और मिकेलोन
ट्रिनिडाड और टोबोगो
वैस्ट इन्डीज (शाखा) एन० आई० ई०

(क) सम्बन्धित राज्य (1)

(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमरीका
अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्कलैंड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरु
सुरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया
बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरिआई अरब गणतन्त्र
यूनाइटिड अरब अमिरात
यमन अरब गणतन्त्र (3)
यमन जनवादी डी० आर (4)

6. दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
मालद्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया
ब्रुनेई
हांगकांग
खमेर गणतन्त्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान

थाइलैंड

तिमोर

वियतनाम गणतन्त्र

वियतनाम जनवादी गणतन्त्र

8. श्रोसिनिया

कोक द्वीप समूह

फिजी

गिल्बर्ट श्रौर इलाइस द्वीप

फ्रांसिसी पॉलिनेशिया (5)

नौरू

न्यूकालेडोनिया

न्यूहेब्रिसेस (ब्रि श्रौर फ्रे)

ब्रिए

पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)

पापुश्रा न्यू गिनी

सोलोमन द्वीप समूह (ब्रि)

टोंगो

वालिस श्रौर फुतुना

पश्चिमी समाश्रो

9. यूरोप

साइप्रेस

जिब्राल्टर

ग्रीक

माल्टा

स्पेन

तुर्की

यूगोस्लाविया

(ख-2) श्रो० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश

श्रल्जीरिया

बोलिविया

लीबियाई श्ररब गणतन्त्र

गेबान

नाइजीरिया

इक्वेडोर

वेनेजुएला

ईरान

ईराक

कुवैत

कातार

सऊदी श्ररब

श्राबु धाबी

इन्डोनेशिया

(1) मुख्य द्वीप : एन्टिगुश्रा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रि-स्टोफी) नेविस श्रंगुइला, सेन्टलुसिया श्रौर सेन्ट विसेन्ट ।

(2) मुख्य द्वीप : मोन्सेसरत, सेमान, तुर्क श्रौर काइकोस श्रौर ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह ।

(3) श्रजमान, दूबाल, फुजाइरह, रास श्रल खैमाह शारजाह श्रौर उम श्रल क्वैवेन ।

(4) श्रदन श्रौर विभिन्न सुल्तनत श्रौर श्रमीरत सहित ।

(5) सोसायटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए, श्रास्ट्रल द्वीप समूह, टुश्रामोट, जाम्बियर ग्रुप श्रौर मार्केसस द्वीप समूह ।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश: कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह श्रौर मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर) ।

श्रनुबन्ध-2

पण्यवस्तु ऋण 4 के श्रन्तर्गत पण्य वस्तुश्रो की श्रधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन

1. प्रस्तावना

निधि द्वारा प्रदान की गई पण्यवस्तु ऋण 4 की रकम इस मार्गदर्शन में निर्धारित श्रधिप्राप्ति की क्रियाश्रों के श्रनुसार पण्यवस्तु ऋण 4 से सम्बन्धित उनकी श्रानुषंगिक पण्य वस्तुश्रों श्रौर सेवाश्रों की श्रधिप्राप्ति के लिए पात्र स्रोत देशों के बीच कार्य कुशलता के लिए श्रौर बिना किसी भेदभाव के ध्यानपूर्वक उपयोग की जाएगी ।

2. श्रधिप्राप्ति क्रियाविधि का चयन

निधि के ऋण के श्रन्तर्गत सूचीबद्ध पण्यवस्तुश्रों की श्रधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियां लागू होंगी :—

(1) श्रौपचारिक खुली श्रन्तर्राष्ट्रीय निविदा देना

(2) श्रौपचारिक चयनात्मक श्रन्तर्राष्ट्रीय संविदा देना

(3) श्रनौपचारिक श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक श्रधिप्राप्ति

(4) सीधी खरीद ।

(क) सरकार श्रौर/या सरकारी श्रभिकरण द्वारा श्रधिप्राप्ति के मामले में श्रौपचारिक खुली श्रन्तर्राष्ट्रीय निविदा या श्रौपचारिक चयनात्मक श्रन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू होगी ।

(ख) गैर-सरकारी श्रधिप्राप्ति के मामले में उपर्युक्त उल्लिखित कोई भी क्रियाविधि लागू हो सकती है ।

(ग) किन्तु, निधि नीचे उल्लिखित मामलों में श्रनौपचारिक श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक श्रधिप्राप्ति या सीधी खरीद के माध्यम से श्रधिप्राप्ति स्वीकार करने की स्थिति में है :—

(1) संविदा की मुद्रा की शर्तों के श्रनुसार जहां प्रस्तावित संविदा की धनराशि 300,000,000 येन, 1,500,000 यु एस डालर या 800,000 पौण्ड स्टार्लिंग से श्रधिक नहीं है ।

(2) जहां श्रर्हक सभरकों की संख्या सीमित है ।

(3) जहां श्रन्तर्बदली या उपकरण के मानकीकरण का सुनिश्चय करने के लिए विशेष विशिष्टिकरण, ट्रेड नाम या पदनाम के संदर्भ में, या विशेष डिजाइन की श्रावश्यकताश्रों के कारण पण्य वस्तु की खरीद करनी है ।

(4) जहां निधि या तो (1) क्रियाविधि (2) या उपर्युक्त (1) (2) श्रौर (3) से भिन्न किसी कारण से (उदाहरणार्थ श्रापातकालीन श्रधिप्राप्ति) क्रियाविधि के लिए लागू नहीं समझा जाएगा ।

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी मामले में श्रायातक इस खण्ड के 1-3 में निर्धारित श्रधिप्राप्ति क्रियाविधि के श्रनुसार श्रधिप्राप्ति की पात्रता से सम्बन्धित कर्जदार की पुष्टि प्राप्त करेगा । ऋणदाता संविदा की प्रति के साथ संविदा की रिपोर्ट कोष में भेजेगा ।

3. संविदा की शर्तें :—

ऋण के श्रन्तर्गत वित्तयुक्त किए जाने वाली कोई भी संविदा निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी ।

1. पण्यवस्तुश्रों की शर्तें

चूंकि ऋण का उपयोग पात्र स्रोत देशों से उत्पादित सूचीबद्ध पण्यवस्तुश्रों के लिए खर्चों का वित्तदान करने के लिए सीमित है इसलिए संविदा विषयक मद पात्र स्रोत देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्य वस्तुएं होंगी श्रौर पात्र स्रोत देशों से भारतीय पत्तन को भेज दी जाएंगी । यदि पात्र स्रोत देशों से श्रायातित भाग निम्नलिखित फार्मूले से तीस प्रतिशत (30 प्रतिशत) कम है तो सूचीबद्ध पण्य वस्तुएं वित्तदान की जाएंगी भले

ही वे संविदा की मदों में सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं के अंश के रूप में गैर पात्र स्रोत देशों से आयातित भाग के रूप में शामिल की गई हो। ऊपर उल्लिखित फार्मूला :—

आयातित कीमत + आयात शुल्क
———————————— × 100
संभरक की जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत

2. संभरक की शर्तें

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा, या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा।

3. आयातक की शर्तें

सशस्त्र सेना या उससे मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थाओं द्वारा किन्हीं भी पण्यवस्तुओं की अधिप्राप्ति ऋण के अन्तर्गत पात्र नहीं होगी।

(4) मुद्रा का मूल्य वर्ग

संविदा क्रमश: एक येन (वाई 1.00), एक सेन्ट (सी 1.00) या एक पैनी (डी 1.00) से कम किसी भिन्न के बिना ही जापानी येन, यूनाइटिड स्टेट डालर या स्टर्लिंग पौण्ड में निर्धारित की जायेगी और देय होगी :

(5) संविदा का मानक प्रपत्र

(क) निधि से वित्तदान की जाने वाली संविदा में निम्नलिखित मदें शामिल की जायेंगी :

(1) संभरक और आयातक का नाम और राष्ट्रिकता
(2) संविदा की संख्या और दिनांक
(3) पण्य वस्तुओं का नाम और मूल स्थान
(4) संविदा का मूल मूल्य और मात्रा
(5) अदायगी की शर्तें
(6) भुगतान और पोतलदान अनुसूची
(7) अन्य सामान्य विनियमन

(ख) दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप से पुष्टि आदेश द्वारा समर्थित विदेशी संभरक को भारतीय आयातक द्वारा दिये गये विक्रय आदेश, या उनकी फोटो प्रतियां भी निधि को स्वीकार्य हैं।

(ग) पात्रता की निम्नलिखित विवरण संभरक द्वारा प्रत्येक संविदा में शामिल किया जायेगा :

"मैं (हम) एतद्द्वारा उल्लेख करता हूं/करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी . (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत है।"

(6) भुगतान

प्रत्येक भुगतान ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख को या बाद में किया जायेगा। सिद्धान्त के रूप में, संभरक को पोतलदान की पूरी धनराशि अपरिवर्तनीय साख पत्र के अन्तर्गत संबंधित पोत परिवहन दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के प्रत्येक समय पर अदा की जायेगी।

4. अन्तर्राष्ट्रीय संविदा का टेण्डर देना

जब अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू की जायें तब अन्य नियमों के साथ निम्नलिखित नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति की जायेगी :—

(1) विज्ञापन देकर

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाकरण के अधीन सभी संविदाओं में बोली मांगने के लिये भारत में सामान्यत: रूप से प्रकाशित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में निविदा की जायेगी।

(2) बोलियों के मांगने और उन्हें प्रस्तुत करने के बीच के समय का अन्तराल।

बोली तैयार करने के लिये अनुमित समय बहुत बड़ी सीमा तक संविदा के महत्व और पेचीदगी के ऊपर निर्भर करेगा। सामान्यत: अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिये कम से कम 30 दिन स्वीकृत किये जाने चाहियें। किन्तु, अनुमित समय प्रत्येक संविदा से संबंधित हालतों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिये।

(3) बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अन्तिम पावती के लिये और बोली खोलने के तिथि, समय और स्थान की बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहियें और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुलेआम खोलनी चाहियें। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिये। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिये और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिये।

(4) बोली बाण्ड और गारंटियां

बोली करने के मामले में, बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकतायें हैं, किन्तु इनको इतना ऊंचे स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये जिससे उपयुक्त बोलीकार निरुत्साहित हो जाये।

बोली बाण्ड या गारंटियां बोली खुल जाने के बाद यथाशीघ्र असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहियें।

(5) मापदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विनिर्दिष्टकरण में यह दर्शाया जाना चाहिये कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किये गये अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड या सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जायेगा।

(6) ब्राण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाये रखने के के लिये मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विनिर्दिष्टकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिये और उन्हें एक केवल ब्राण्ड नाम, सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिये। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उस विकल्पी पण्य वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिये जिनकी विशेषता मिलती जुलती हैं और कम से कम उन विनिर्दिष्टकृत के बराबर निष्पादन और गुण उसमें है।

(7) गारण्टी और निष्पादन बाण्ड

यदि आवश्यक हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में गारंटी के लिये जमानत के रूप में कोई पपत्र होना चाहिये। यह जमानत या तो बैंक गारन्टी द्वारा या निष्पादन बाण्ड द्वारा दी जा सकती है।

(8) निर्धारित क्षति

यदि आवश्यक हो तो जब कभी सुपुर्दगी में फालतू खर्च होता हो, राजस्व की हानि हो या आयातक के लिये अन्य लाभ की हानि हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित क्षति वाक्यांश जोड़े जाने चाहियें।

(9) विवश स्थितियां (फोर्स मैज्यूर)

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस सम्बन्ध में वाक्यांश होने चाहियें कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस

हालत में एक चूक नहीं माना जायेगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों (फोर्स मैज्यूर) के फलस्वरूप हुई है 'संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है ।

(10) झगड़ों का निपटान

झगड़ों के निपटान के संबंधित व्यवस्थायें संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहियें । यह वांछनीय है कि व्यवस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाये गये "समझौते और मध्यस्थ-निर्णय के नियमों" या भारतीय एवं समुद्रपार के संभरक दोनों को स्वीकार्य होने वाली व्यवस्थाओं पर आधारित होने चाहियें।

(11) मूल्यांकन

अनुबन्ध-3

[(संदर्भ खण्ड (4)—कंडिका 4(1))]

प्राधिकारपत्र जारी करने के लिये प्रार्थनापत्र

संख्या दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ०, बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय—1978-79 के लिये येन क्रेडिट संख्या आई डी सी-4 (पण्य-वस्तु सहायता) के अन्तर्गत जापान से ·················· ····························का आयात ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट आई डी सी-4 (पण्यवस्तु सहायता) के अधीन ·························से············ जो कि ····················के आयात के संबंध में··········(बैंक का नाम) जो कि यहीं होना चाहिये जो नीचे (ड) में संबद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साखपत्र खोलने के लिये दिया गया है को प्राधिकारपत्र जारी करने के लिये हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं:—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है ।

(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिये कि क्या संविदा को निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत ।

(छ) संविदा की लागत और भाड़ा मूल्य येन/अमरीकी डालर/पौंड स्टर्लिंग में ।

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि येन/अमरीकी डालर/पौंड स्टर्लिंग में और समुद्रपार के संभरकों को भुगतान किए जाने वाला वास्तविक मूल्य येन/अमरीकी डालर/पौंड स्टर्लिंग में ।

(झ) वह मूल्य येन/अमरीकी डालर/पौंड स्टर्लिंग में जिसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है ।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक ।

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता ।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा अंतर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि ।

(ढ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिये जाने वाले दस्तावेज ।

(प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)

(ण) पोतलदान अनुदेश वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिये ।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं ; यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत ओ ई सी एफ को इसे अधिसूचित किया गया है ।

अनुबन्ध-4

[संदर्भ : खंड-5—पैरा 5(2)]

संख्या एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इण्डिया,
टोकियो शाखा
टोकियो (जापान)

विषय :—येन क्रेडिट (पण्यवस्तु सहायता) ऋण करार संख्या आई. डी. सी.-4 के अधीन आयात ······ साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकारपत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 30-10-1978 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री ·····························के नाम में······ ···········येन/अमरीकी डालर/पौंड स्टर्लिंग की धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ.ई.सी.एफ. भारतीय दूतावास टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए ।

साख-पत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपके फण्ड से किया जाएगा । भुगतान के बाद ओ.ई.सी.एफ. को आवश्यक दस्तावेज भेजकर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए ।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ.ई.सी.एफ. द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार आयातक के बैंक द्वारा सीधे ही ब्याज दिया जाएगा । दस्तावेज रखने का खर्च यदि कोई हो तो, उसके साथ अन्य बैंक खर्चे और समुद्रपार संभरक के खर्चे यदि कोई हो तो, वे भी

आयातक बैंक द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे । क्योंकि ऐसे खर्चों का प्रतिपूर्ति का दावा ओ.ई.सी.एफ. से नहीं किया जाएगा । जब और जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और प्रतिपूर्ति की जाती है, निर्धारित प्रपत्र में सूचना मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के लिए है । इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए आगे के नए साखपत्र या साखपत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा ।

यह प्राधिकार-पत्र ······················ तक वैध रहेगा ।

भवदीय,
लेखाधिकारी

सरकारी विभाग सहित सार्वजनिक क्षेत्र के आयात के लिए

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक ·················· को उनके पत्र संख्या ·················· दिनांक ·············· के संदर्भ में ।

2. आयातक का बैंक ··········· उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इण्डिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों की येन/यू. एस. डालर/पौंड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या 8-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचालित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी । संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 46 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा । ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाना है अर्थात् वह तिथि जिसको समुद्रपार संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है । (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी) । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है ।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिएं या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली–6 (आदेशित और आदाता) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए । इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 233 आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-1968, संख्या 132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-1971, संख्या–74 आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 और संख्या–103 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह के डिपाजिटस एण्ड एडवांसिज–843 सिविल डिपाजिट्स—डिपाजिटस् फार परचेजिस एटसेक्ट्रा फ्रोम एब्राड—परचेजिस अन्डर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट अन्डरटेकिंग्स हैड "येन क्रेडिट्स कमोडिटी एड न० आई डी सी–4 फार 1978–79 फ्रोम जापान क्रेडिट्स फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान" है ।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या–132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इण्डिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहला मंजिल, यू को ओ बैंक बिल्डिंग
संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकलित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिएं । सभी मामले में ब्याज को चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए ।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चे सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्चे और बैंक आफ इंडिया टोकियो ब्रांच के अन्य खर्चे इण्डियन बैंक और बैंक आफ इण्डिया टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे ।

3. निदेशक ऋण विभाग–2 समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि आइनों बिल्डिंग–1-1 यूचि सेवाएं चो, 2, कोमे, चियोडा-कू, टोकियो ।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो ।

5. अवर सचिव (डब्ल्यू ई-1) शाखा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

लेखाधिकारी

अनुबन्ध-5

[संदर्भ खंड-5—पैरा 5(2)]

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

दिनांक

सेवा में,

························ साख-पत्र ऋणी और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ········ के बीच हुए ऋण करार संख्या ·······

संभरक का नाम व पता

दिनांक ······ के अनुसरण में जारी किया गया है ।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचना देते हैं कि हमारी ओर से देय पूर्ण बीजक मूल्य के लिए आपके साइट ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध सबसे अधिक राशि डालर का डालर/पौंड (येन डालर/पौंड की अधिकतम कुल धनराशि के लिए हमने ·············· लेखे के लिए आपके नाम में अपना अपरिवर्तनीय साख पत्र संख्या ······················ निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ खोल दिया है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक ··············· में निर्बन्ध लदान पत्र का पूरा सेट जो आदेश देने के लिए चिन्हित हो का ब्लैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "भाड़ा ············" और "नोटिफाई ·················"

अन्य दस्तावेज जिसमें .... में तक लदान का साक्ष्य दिया गया हो (संविदा संख्या .... के संदर्भ में माल का संक्षिप्त विवरण) (यदि कोई हो तो)। आंशिक पोत लदान .... स्वीकृत है। यानान्तरण पोतलदान .... स्वीकृत है। पोतलदान बिल .... से पूर्व की तिथि का नहीं होना चाहिए। ड्राफ्ट .... से पूर्व की तिथि तक मोल तोल के लिए अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज "अपरिवर्तनीय साख-पत्र संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या(एँ) .... यदि कोई हो तो" द्वारा .... चिन्हित होने चाहियें यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट, प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथारूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार डाकूमेंटरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन), इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन नं०-290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश

(1) ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि को मोल तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परेषित करने का वचन देते हैं।

2. मोल तोल करने वाले बैंक को ड्राफ्ट्स और दस्तावेजों का पूर्ण सैट इस प्रमाणपत्र के साथ हमें भेजने चाहिएं कि शेष दस्तावेज सीधे हवाई डाक द्वारा .... को भेज दिए हैं।

3. इस क्रेडिट के अधीन सभी बैंक खर्चे उक्त ऋण समझौते के अन्तर्गत (आयातक) के लेखे के लिए हैं।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा ....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 8-ITC (PN)/79

New Delhi, the 22nd January, 1979

Subject: Licensing conditions for private sector imports and public sector imports under the Yen Credit (Commodity Aid) ID-C4 for 1978-79 extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF).

F. No. IPC/39/5/78.—The conditions governing the issuance of import licences for private sector imports under the Yen Credit (Commodity Aid) ID-C4 for 1978-79 as given in Appendices I and II to this Public Notice are notified for information.

K. V. SESHADRI,

Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX I TO DEPARTMENT OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 8-ITC(PN)/79

DATED 22-1-1979

Licensing conditions in respect of Private Sector Imports under the Yen Credit (Commodity Aid) ID-C4 for 1978-79 extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)

Section I—General Conditions

The Yen Commodity Credit for 1978-79 extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) is untied in favour of OECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure I which will be the eligible source countries under the credit. However, if commodities imported under the licence **contain components originating from a non-eligible source country or countries**, it should be ensured by the importer, while negotiating a supply contract, that the total c.i.f. cost, including import duties, of such components imported into the country of the supply contract is less than 30 per cent of the f.o.b. value of the supply contract. In such a case, a certificate to this effect should be obtained from suppliers and attached to the supply contract.

(ii) The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-C4". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payment however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (WE-I Section) in the matter.

(v) Firm order must be placed on CIF or on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan or in other eligible countries mentioned in Annexure I and sent to the Under Secretary, Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the letter of purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WE-I Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests ordering for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of this import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of bank guarantee, letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

(vii) All payments must be completed within one month from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis, i.e., on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas Supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

"..................Months after the receipt of Letter of Credit but to be completed latest by the end of..........

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond.

Section—II Special points to be kept in view while negotiating a supply contract

(i) (a) The value of the contract should be expressed in Yen or US Dollars or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one cent or one Panny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. **In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency.** The FOB cost, insurance and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The purchase order and supplier's order confirmation should be in English only.

(ii) For individual imports not exceeding Yen 300 million or US $ 1,500,000 or Pound 800,000 in value (exclusive of Indian agents commission) the licensee is free to effect purchases directly from the suppliers without recourse to international tender enquiries from the countries listed in Annexure I.

(iii) Where, however, the supply contracts exceed the limit prescribed in II(ii) above in value (exclusive of Indian Agents commission), any one of the following procedures for procurement should be rigidly followed.

(a) Formal Open International Tendering.

(b) Formal selective International Tendering.

(c) Informal International Competitive Procurement.

(iv) Any reference to International Tendering or International Procurement will mean tendering or procurement, as the case may be, from the eligible source countries.

The bove procedure may be relaxed in favour of Informal Competitive procurement or Direct purchase where

1. a number of qualified suppliers exist in one particular country or in a limited number of countries.

2. purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the interchangeability or standardisation of equipment or because of special design requirement.

3. Purchases are in the category of emergency procurement. The licensee is therefore advised that in case where the procedure at (a) and (b) of para II(iii) above cannot be taken recourse to, a reference to the Department of Economic Affairs shall have to be made who will consider each such case on merits.

(v) Where Formal Open International Tendering is resorted to, the following points should be borne in mind :—

(a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least on newspaper of general circulation in India.

(b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

(c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

(vi) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the importer's bank in their favour which will be routed through the Bank of India, Tokyo under the OECF Yen Credit (Commodity Aid) for 1978-79 the details of which are given in Section VI below.

(vii) Only one contract should be entered into for the full value of the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

(viii) **Eligibility of Supplier**

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person governed substantially by nationals of the eligible source countries.

Section III—Conditions to be incorporated in the Supply Contracts

(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :—

(a) The Contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Japanese Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) dated the 6th October, 1978, concerning the Yen Credit No. ID-C4 (Commodity Aid) and will be subject to the approval of the Government of India for financing it under the said credit.

(b) Payments to the suppliers shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued under the Loan Agreement dated 6-10-1978 between the Government of India and the Japanese Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) concerning the Yen Credit No. ID-C4 (Commodity Aid).

(c) The Overseas Supplier would agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) A certificate in the form indicated below :

"I (We) hereby state that my (our) company has been registered in————(eligible source country) and is governed by nationals of the eligible source countries for judicial persons registered and incorporated in the eligible source countries".

(ii) Where the suppliers are located in Japan, the supply contract should contain a specific clause to the effect that the Japanese Supplier should furnish a report to the Embassy of India, Tokyo immediately after completion of shipping arrangement alongwith one copy of the invoice and one copy of the Bill of Lading.

Section—IV Detailed Procedure for procurement and finalisation of supply contract has been indicated in Annexure II

Section—V Contract Approval by Government of India

(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward to the Under Secretary, (WE-I Section), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the Overseas Suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas Supplier or their photo-copies, complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence and also with an application (in duplicate) in the form attached as Annexure III, requesting for issue of Letter of Authorisation for opening Letter of Credit, accompanied by a Bank Guarantee in the form prescribed in Annexure IV duly adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamp Act.

Where supply contract is based on formal Open International Tendering or Formal selective International Tendering a certificate to the following effect should be furnished in duplicate :—

(i) Name of the Newspapers in which the bid specification was published ;

(ii) Name of parties who quoted against the tender enquiry;

(iii) the reason for selecting a particular offer indicating whether it is the lowest technically suitable bid.

(ii) **Bank Guarantee—Amount for which it should be executed.**—The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the foreign currency amount for which the Letter of Authority/Letter of Credit is sought plus interest and other charges as mentioned in Annexure IV. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and prevailing on the date of issue of the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974 issued by the CCI&E. This rate is meant only for the purpose of arriving at the value of the Bank Guarantee to be furnished by the licensee. For the purpose of making rupees deposits into Government account towards the cost of imports, the rupee equivalent will have to be worked out in the manner indicated in Section VII below.

(iii) If the contract documents, Request for issue of letter of authorisation, the Bank Guarantee and other connected documents are **found to be in order,** the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WE-I Section will approve the contract and notify the same to the OECF for their information that contract will be financed under the Yen Credit (Commodity Aid) and simultaneously forward one set of documents to the Controller of Aid, Accounts & Audit, Ministry of Finance, UCO Bank Building, 1st Floor, Parliament Street, New Delhi, for issue of necessary letter of authorisation. A copy of this communication will also be endorsed to the licensee for information.

The above procedure of approving contracts will **ipso facto** apply to each contract amendment involving revised scope of supply and/or increase/decrease in the value of contract.

Section VI—Payment to the Overseas Supplier—Letter of Credit procedure

(i) On receipt from WE-I Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, North Block, New Delhi, the documents mentioned in para v(iii) above, the Controller of Aid Accounts & Audit (CAA&A), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi (hereinafter referred to as CAA&A for convenience) will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure V to the Indian Bank that has furnished the Bank Guarantee for opening the irrevocable letter of credit as in the form attached as Annexure VI in favour of the Overseas Supplier. A copy of this Letter of Authority will be endorsed by the CAA&A to OECF, the Bank of India, Tokyo, Embassy of India in Japan and the WE-I, Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

(ii) On the basis of this letter of authority, the Indian bank concerned will establish an irrevocable letter of credit in favour of overseas supplier concerned, and forward the original letter of credit (along with four copies thereof) to the Bank of India, Tokyo requesting them to add their confirmation and forward it to the overseas supplier. (It should be noted that the letter of credit issued on the suppliers bank in respect of private sector imports should be routed invariably through the Bank of India, Tokyo who will add its confirmation). The Bank of India, Tokyo will forward a copy of the letter of credit to the OECF and the CAA&A.

The above procedure of opening letter of credit on the basis of letter of authority from the CAA&A would **ipso facto** apply to all such amendments to letters of authority/letters of credit as may become necessary due to contract amendment.

(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of the goods, present through his bankers, the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo for payment. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain the reimbursement of the cost of imports from the OECF.

(iv) Banking charges payable to the Bank of India Tokyo for adding this confirmation to the letter of credit, for negotiations thereunder, and charges if any, of overseas supplier's banker and interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment by them of the cost of imports to the overseas supplier to the date of reimbursement by the OECF, shall be settled by remittance by the concerned importer's bank in India to the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India.

Section VII—Responsibility of Rupee deposit

(i) The original negotiable shipping documents will invariably be forwarded by the Bank of India, Tokyo to the concerned importer's bank in India who should release these negotiable set of documents to the licensee only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen/US Dollar/Pound Sterling payments made to the overseas supplier along with interest charges thereon calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof, reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo, to the overseas supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the day on which rupee deposit is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen/US Dollar/Pound Sterling payments will be the composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. **It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers.** The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposit should be credited is "K—Deposits and Advances—843 Civil Deposits—Deposits for purchases etc. abroad Purchases under Credit/loans Agreements—credits from the Government of Japan under the detailed head "Yen Credit (Commodity Aid) No. ID-C4 for 1978-79 from Japan."

(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or, if this is not feasible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the nationalised Bank (drawee) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee and payee), for credit to the Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68, dated 30-8-1968, No. 233-ITC (PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan, it should be ensured by the importers/their bankers that the information, prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittance and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of foreign currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

Thereafter, the Treasury challans evidencing the rupee deposit should be sent by Registered post to CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

"**Note** : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days

of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance, (DEA) New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter."

(iv) The concerned bank in India should endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite 'S' form to the Reserve Bank of India, Bombay.

(v) After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the letter of authorisation issued by the CAA&A in the Ministry of Finance are fulfilled, the concerned Bank in India can apply to the CAA & A for the release of bank guarantee. The application for this purpose be made in the form laid down in Annexure—VII.

Section VIII—Miscellaneous provisions

(i) The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened, regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the CAA&A.

(ii) **Notifying Suppliers of Special Conditions.**—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

(iii) **Disputes.**—It should be understood that the Government of India will not undertake responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers, provisions dealing with settlement of disputes should be included in the condition of the contract.

(iv) **Future Instructions** .—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India, from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Commodity Aid) with the Japanese authorities.

(v) **Breach or violation.**—Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

(vi) **List of Annexures**

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—Procedure for procurement and finalisation of supply contract.

Annexure III—Form of Request for issue of the Letter of Authority for opening the Letter of Credit.

Annexure IV—Bank Guarantee Form.

Annexure V Letter of Authority Form.

Annexure VI—Form of Letter of Credit.

Annexure VII—Form of Application for release of Bank Guarantee.

ANNEXURE I

[Ref. : Section I -Para 1(v)]

List of Eligible source Countries

A. OECD Countries

Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
Finland,
France,
the Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands,
New Zealand
Norway
Portugal

Spain
Sweden,
Switzerland,
Turkey
the United Kingdom and
the United States.

B. Development Countries and Territories

(b1) Non-O.P.E.C. Developing Countries

I. Africa, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. Africa, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomay (1)
Equatorial Guinea
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep. (2)
Sao Tome and Principee
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Tago
Uganda
Un. Rep. of Tanazania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. America, North and Cent.

Bahamas
Barbodoses
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern Part).

III. **America, North and Cent.** (Contd.)
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tabago
West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

IV. **America, South**
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. **Asia, Middle East**
Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Amirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R (4)

VI. **Asia, South**
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. **Asia, Far East**
Burnei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of
Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. **Oceania**
Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Hieu
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tongo
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. **Europe**
Cyprus
Gibralter
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(b2) **Member or Associate Countries of OPEC**
Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II

Guidelines for Procurement of Commodities under the Commodity Loan IV

I. Introduction.

The proceeds of the Commodity Loan IV extended by the Fund shall be used with due attention to efficiency and non-discrimination among the eligible source countries for procurement of commodities and services incidental thereto concerning the Commodity Loan IV in accordance with the procurement procedures set out in this Guidelines.

II. Selection of Procurement Procedure.

The following procedures shall be applicable to the procurement of Listed Commodities under the Fund's Loan :

(1) Formal Open International Tendering.
(2) Formal Selective International Tendering.
(3) Informal International Competitive Procurement.
(4) Direct Purchases.

(a) In the case of the procurement by the government and/or a government agency, Formal Open International tendering or Formal Selective International Tendering shall be applied.

(b) In case of non-government procurement, any of the procedures mentioned above may be applied.

(c) The Fund, however, is in a position to accept the procurement through Informal International Competitive Procurement or Direct Purchases in the following cases :

(i) Where the amount of a proposed contract does not exceed £ 300,000,000.—,Us $ 1,500,000.—or STG £ 800,000.—in terms of currency of the contract.

(ii) Where the number of qualified suppliers is limited.

(iii) Where purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the interchangeability or standardization of equipment, or because of special design requirements.

(iv) Where the Fund deems inapplicable either procedure (1) or procedure (2) by the reason other than the case (i), (ii) and (iii) above (e.g. in case of emergency procurement).

(1) Main islands : Antiguia, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main islands ; Montserrant, Gayman, Turks and Caicos and British Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (inculding Tahiti, The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands; Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

(d) In any case mentioned above, Importer shall get a confirmation of the Borrower concerning the eligibility of procurement in accordance with the procurement procedure set forth in this Section 1—3. The Borrower shall send the Report of Contract with a copy of the Contract to the Fund.

III. Conditions of Contract.

Any contract to be financed under the Loan shall fulfill the following conditions.

1. Conditions of Commodities.—As the use of the Loan is limited to financing expenditures for Listed Commodities produced in the eligible source countries, the subject items of the Contract shall be Listed Commodities produced in the eligible source countries and to be shipped to an Indian port from the eligible source countries. If the imported portion from non-eligible source countries is less than thirty per cent (30 per cent) of the following formula, Listed Commodities will be financed even if the imported portion from non-eligible source countries is included as a part of the Listed Commodities in the items of the Contract. Formula mentioned above :

$$\frac{\text{Imported Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

2. Conditions of Supplier.—The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered in the eligible source countries.

3. Conditions of Importer.—The procurement of any Commodities by the armed forces or their affiliated organizations of India shall not be eligible under the Loan.

4. Denomination of Currency.—The Contract shall be fixed and payable in Japanese Yen, United States Dollar, or Sterling Pound without any fraction less than one Yen (£ 1.00). One cent ($ 1.00) or One Penny (d 1.00) respectively.

5. Standard Form of Contract

(a) The following items shall be inserted in the Contract to be financed by the Fund.

(1) Name and Nationality of Supplier and Importer.
(2) Number and Date of the Contract.
(3) Name and Origin of the Commodities.
(4) Contract Price and Quantity.
(5) Payment Terms.
(6) Delivery and Shipment Schedule.
(7) Other General Regulations.

(b) The Contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies, are also acceptable to the Fund.

(c) The following statement of eligibility by the Supplier shall be added to each contract.

"I (We) hereby state that my (our) company has been registered in————(eligible source country)".

6. Payment.—Each payment shall be made on and after the date of signing of the Loan Agreement.

In principle, the full amount of a shipment shall be paid to the supplier at each time of presentation of the relative shipping documents under an irrevocable Letter of Credit.

IV. International Tendering.

When International Tendering is applied, the procurement shall be made in accordance with the following principles, among others;

1. Advertising.—On all contracts subjects to Formal Open International Tendering. invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

2. Time Interval Between Invitation and Submission of Bids.—The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

3. Bid Opening Procedures.—The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicity at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

4. Bid Bonds or Guarantees.—In the case of bidding, bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

5. Standards.—If national standards with which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

6. Use of Brand Names.—Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features.

In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

7. Guarantees and Performance Bonds.—Bidding documents may require some form of surety for guarantees, if necessary. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond.

8. Liquidated Damages.—Liquidated damages clauses, if necessary, should be included in bidding documents when delays in delivery will result in extra expenditures, loss of revenues or loss of other benefits to the Importer.

9. Force Majeure.—The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

10. Settlement of Disputes.—Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas Supplier.

11. Evaluation.

ANNEXURE III

[Ref. Section V—Para V(1)]

Request for issue of the letter of authority

No. Date

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi—110001.

Subject —Import of——————from Japan under the——————Yen Credit (Commodity Aid) for No. ID-C4 for 1978-79.

Sir,

In connection with the import of————from Japan under the above mentioned Yen Credit (Commodity Aid) Loan Agreement No. ID-C4, we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the..............(Name of the Bank which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in **Overseas Supplier concerned).**

(a) Name and Address of the Indian Importer.

(b) Number, date and value of the Import Licence and Date up to which it is valid).

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of lowest technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Value of contract in Yen/US $/£—it should be clearly indicated whether it is C&F or CIF.

(h) Amount of Indian Agents commission (in Yen/US $/£), if any, payable in Indian rupees and the net value in Yen/US $/£ payable to Overseas Suppliers.

(i) Value in Yen/Us $/£ for which the Letter of Authority is requested.

(j) Number and date of the contract with Overseas Suppliers.

(k) Name and Address of the Overseas Supplier.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Name and address of the importer's Bank in India (which will be the bank that has furnished Bank Guarantee).

(o) Number, date and value of the Bank Guarantee indicating the period upto which it is valid.

(p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the OECF and if so, the name, date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.

Signature——————

ANNEXURE IV

[Ref. Section V—Para V (ii)]

Guarantee Bond

To

The president of India

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Yens/US Dollars and £ Sterling for the import of ——————by—————— (hereinafter called the 'importer') against the import licence No.—————— dated——————issued under the terms and conditions of Yen Credit (Commodity Aid) No. ID-C4, we—————— Bank, at the request of the importer hereby unertake to arrange to deposit, the amounts of disbursements made by the Bank of India, Tokyo converted at the prevailing composite rate of conversion laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC (PN)/76, dated 17th January, 1976 or as notified from time to time in Public Notices/A.D. Circulars within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Accounts as indicated by the Government of India under the said credit together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned from the date of payment to the overseas supplier to the date of deposit of Rupee equivalent for the credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the Bank of India, Tokyo, will be released to the Importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the——————(Bank), also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs.——————, or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned from the date of the payment to the overseas supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us——————(Bank), shall be final and binding on us——————(Bank).

3. We,——————(Bank), further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change take place, in proportion to this change.

4. We,——————(Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee, have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the——————(Bank), and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time of the powers exerciseable by it against the importer and the ——————(Bank) shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reasons of time being given to the importer or any other forebearance, act or omission on the part of the Government or any other matter or thing the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the—————— (Bank) from its such liability.

6. We——————(Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

7. Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs.——————(plus interest and all banking charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount), and this guarantee shall remain in force till** the date of——————(month) ——19——————. Unless claims under this bond/gurantee are made in writing within six months of this date and unless suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, i.e. upto——————all Government's rights under this bond/guarantee are made in writing within six relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the——————day of——————19
for——————(Bank).

Accepted for and on behalf of the
President of India by Shri——————

(Name and Designation)

Signature Signature

**This date shall be arrived at by adding one month to the date up to which the Letter of Credit is required to be kept valid.

Note.—The value of the stampped paper on which this Guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

ANNEXURE V

[Ref. : Section VI—Para VI (i)]

For Private Sector Importers

(Letter of Authority Form)

No. F.

GOEVRNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

——————

(Indian Importers' Bank)

Subject :—Import under Yen Credit (Commodity Aid) Loan Agreement No. ID-C4. Issue of Letter of Authority

for opening Letter of Credit—Import Licence No.——— ——dated——————

Dear Sirs,

With reference to your Bank Guarantee No.————— dated——————and letter No.——————dated ——————from M/s.——————(Importer) in which they have requested permission for opening a letter of credit through your Bank under the Yen Credit (Commodity Aid) No. ID-C4, I am to enclose the Department of Economic Affairs Letter of Authority (format attached as Appendix I to this Annexure-V) No.——————dated ——————issued to the Bank of India, Tokyo with one spare copy authorising them to arrange payments upto Yen/Us $/£ Sterling to the Overseas suppliers. This letter of authority should be sent by you to the Bank of India, Tokyo Branch alongwith the Letter of Credit opened by you.

2. You are hereby authorised to open the Letter of Credit for an amount not exceeding Yen/US $/Pound Sterling ——————within a period of thirty days from the date of this letter under intimation to this Department. In terms of para. 10 Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of expiry of the Letter of Credit is not later than 45 days after the final date for shipment as stated in the relative import licence of the date indicated in the Letter of Authority whichever is earlier. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the importers are in possession of a valid import licence.

3. The Letter of Credit opened by you will incorporate a clause that it will be effective only after it has been confirmed by the Bank of India, Tokyo. The Letter of Credit will, therefore, have to be routed through that Bank requesting them to add their confirmation to the effect that they undertake to pay on presentation of documents in terms of the Yen Credit (Commodity Aid) No. ID-C4, Bank of India, Tokyo will forward the letter of credit after adding its confirmation to the overseas supplier through his bankers.

4 The amount of the Letter of Credit should not exceed without a specific authorisation from this Ministry.

5. The banking charges and interest charges of the Bank of India, Tokyo and charges, if any of overseas suppliers bankers will on demand be remitted by you direct to the Bank of India, Tokyo, through the normal banking channels.

6. You are requested to arrange to deposit the rupee equivalents of the Yen or US Dollars or Pound Sterling payments to the overseas suppliers in terms of the Guarantee furnished by you, within 10 days of the receipt of documents from the Bank of India, Tokyo. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 or such other Public Notices, which may be issued from time to time. Interest at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are to be deposited into Government account in terms of Public Notice No. 46-ITC (PN)/76 dated 16-6-76, will also have to be credited alongwith the above amount to the Government of India's account. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposits is made into Government account (Any change in this rate will be intimated if and when made). It will be your responsibility to arrange for the DEPOSIT OF THESE AMOUNTS correctly, before the import documents are HANDED over to the importer.

7. These amounts should be deposited either with the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a demand draft obtained by you from any Branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the nationalised banks, drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) In this connection your attention is also invited to the provisions of the Public Notice No 233 ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 and No 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The Head of Account to be credited is "K-Deposit and Advances-843-Civil-Deposits-Deposits for purchases etc. from abroad-Purchases under credit/Loan Agreement-Credits from the Government of Japan" under detailed head "Yen Credit (Commodity Aid) No. ID-C4 for 1978-79 from Japan".

8. One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by you to the address given below alongwith a forwarding letter giving deposit and citing reference to this communication :—

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
1st Floor, UCO Bank Building,
Parliament Street, New Delhi-110001.

In case where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Accounts Officer,

Copy forwarded to :—

1. M/s. ——— (Importer)———for information, with reference to their letter quoted above. A copy of the Letter of Authority is also enclosed.
2. Bank of India, Tokyo, for information and necessary action in terms of their Agreement with the Government of India dated 30-10-1976.
3. The Director, Loan Department II, Overseas Economic Cooperation Fund, Lino Building, 1-1, Uchisaiwaicho, 2 Chome-Chiyoda-ku, Tokyo.
4. Embassy of India, Tokyo for information.
5. Under Secretary (WE-I Section), Department of Economic Affairs, alongwith a copy of Letter of Authority with reference to their letter No. dated.

Accounts Officer.

APPENDIX I TO ANNEXURE V

Letter of Authority No.————

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

Bank of India,

Tokyo Branch,

Tokyo (Japan)

Subject :—Import under Yen Credit (Commodity Aid) Loan Agreement No. ID-C4—Issue of Letter of Authority for confirmation of Letter of Credit.

Dear Sir,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 30-10-76 entered into with your Bank, we hereby authorise you to confirm the Letter of Credit to be opened by (Indian Bank) favouring (Overseas Supplier) for Yen——— covering the import of————against contract entered

into by——————(Indian Importer), to be forwarded to the beneficiary and to pay the amount under the said Letter of Credit on presentation of the requisite documents thereunder.

2. After each payment, the shipping and other documents (negotiable) may be forwarded direct to (Indian bank) alongwith a payment advice and you must claim immediately reimbursement of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF. As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

3. Your banking charges and charges if any of overseas Suppliers bankers and interest charges under the above Letter of Credit will be settled directly with you by the (Indian bank).

4. This authority will remain valid upto——————.

Yours faithfully,
Accounts Officer.

ANNEXURE VI

[Ref : Section VI—Para VI(ii)]

Irrevocable Letter of Credit

Date :

L/C No.

To

————————

————————

(Name and Address of and Advising Bank. This letter of credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.——————dated——————between (borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND, Tokyo, Japan.

Dear Sirs,

We request you to advice (name and address of the Supplier) that we have opened our irrevocable credit No. ——————in their favour for account of (name of the purchaser) for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Yen/US $/£ Sterling) Say Yen $/£——————available by beneficiarys drafts at sight for full invoice value drawn on (the designated foreign exchange bank in Tokyo),

To be accompanied by the following documents :—

Signed commercial invoice in

Packing list in

Certificate of Origin in

Fullset of clean on board (ocean bills of lading made out to order and

Bank endorsed and marked "Freight " and "Notify " (Other documents)

evidencing shipment of (Brief description of goods referring to Contract No.)

from to

Partial shipments are permitted. Transhipment if permitted.

Bill of lading must be dated not later than , 19 .

Drafts must be presented to the drawee not later than 19

"Drawn under (Name of the Issuing Bank) irrevocable credit No. dated 19 . and Import Reference No. (s) (if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of this credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressely stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revisions), International Chamber of Commerce, Publication No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank.

1. This credit shall become effective when (the designated foreign exchange bank in Tokyo) acknowledged receipt of the letter of commitment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND under the aforementioned Loan Agreement.

After obtaining the reimbursement from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment, (the designated foreign exchange bank in Tokyo) undertakes to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by you.

2. You must forward the drafts and one complete set of documents to (the designated foreign exchange bank in Tokyo) together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to us.

3. All banking charges under this credit are for account of (the Importer) under the said Loan Agreement.

Yours faithfully,

————————

(Name of the Issuing Bank)

By :————————

(Authorised Signature)

ANNEXURE VII

[Section VII—Para VII(v)]

Form of Application for release of Bank Guarantee

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-1.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposits made by us in the discharge of our obligations under Bank Guarantee No.——————dated——————for an amount of Rs.——————with the request that the same may be released and returned to us.

1. The name and full address of the importer/licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.

2. The import licence No. date, value, brief description of the equipment and/or commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation(s) for opening Letters of Credit obtained from the Ministry of Finance (to be given separately for each letter of authorisation).

(a) Letter No. and date.

(b) Amount of Authorisation

(c) Japanese Yen Credit No.

4. Particulars of imports and rupee deposits made (to be given separately for each Letter of Credit Authorisation).

(a) Particulars of Letters of Credit opened (No., date, value, the supplier's name).

(b) Invoice No. and date relative to each Letter of Credit.

(c) Amount of Invoice (net in Yen/Us $/£.

(d) Amount of Rupee deposit.

(e) Relative challan No. and date and the name of Treasury/Bank.

(f(If by demand draft, No. and date of the demend draft and No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5. Amount utilised and balance unutilised (Yen/US $/£.) in each Letter of Credit Authorisation.

II. We certify that :—

(1) *The balance amount of Yen—————— available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

OR

No letter of credit was opened under the authorisation(s) and the authorisation(s) lapsed.

OR

The letter of credit was opened against the authorisation letter(s) expired unutilised.

(2) Our obligation under the Bank Guarantee in question have been fully discharged.

III. We confirm that the interest and banking charges of the Bank of India, Tokyo and charges, if any, of overseas suppliers Bankers relative to this transaction have been remitted by us to the Bank of India, Tokyo.

IV. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,

Authorised Agent for and on behalf of the Bank.

*whichever is applicable.

APPENDIX II TO DEPARTMENT OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 8-ITC(PN)/79 DATED 22-1-1979

Licensing conditions in respect of public sector imports under the Yen credit (Commodity AID) ID-C4 for 1978-79 extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)

Section I—General Conditions:

(i) The Yen Commodity Credit for 1978-79 extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) is united in favour of OECF and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under the credit. However, if commodities imported under the licence contain components originating from a non-eligible source country or countries, it should be ensured by the importer, while negotiating a supply contract, that the total c.i.f. cost, including import duties, of such components imported into the country of the supply contract is less than 30 per cent of the f.o.b. value of the supply contract. In such a case, a certificate to this effect should be obtained from suppliers and attached to the supply contract.

(ii) The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-C4". The licence code for the first and second suffix will be "S JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&F forwarding the import licence.

(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (WE-I Section) in the matter.

(v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary, Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WE-I Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extention is sought beyond 8 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

Only on production of the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

(vii) All payments must be completed within one month from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas Supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :—

".......Months after the receipt of Letter of Credit but to be completed latest by the end of ————."

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

(i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and Freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

(ii) For individual imports not exceeding Yen 300 million or US $ 1,500, 000 or £ 800,000 in value (exclusive of Indian agents commission) the licensee is free to effect puchases directly from the supplier without recourse to international tender enquiries from the countries listed in Annexure-I.

(iii) Where, however, the supply contracts exceed the value limit prescribed in II(ii) above (exclusive of Indian Agents commission), the following procedure for procurement should be rigidly followed :—

(a) Formal Open International Tendering,

(b) Formal Selective International Tendering.

(c) Informal International Competitive Procurement.

(iv) Any reference to International Tendering or International Procurements will mean tendering or Procurement, as the case may be from the eligible source countries.

The above procedure may be relaxed in favour of Informal Competitive procurement or Direct Purchases where :—

1. a number of qualified suppliers exist in one particular country or in a limited number of countries.

2. purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the interchangeability or standarisation of equipment or because of special design requirements.

3. Where purchases are in the category of emergency procurement.

The licensee is therefore advised that in case where the procedure at (a) and (b) of Para II(iii) above cannot be taken recourse to a reference to the Department of Economic

Affairs shall have to be made who will give necessary approval on merits of each case.

(v) Where Formal Open International Tendering is resorted to the following points should be borne in mind :—

(a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

(b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be so high as to discourage suitable bidders.

(c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

(vi) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Commodity Aid) No. ID-C4 for 1978-79 the details of which are given in Section VI below.

(vii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contact may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence,

(viii) Eligibility of Supplier :

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III—Conditions to be incorporated in the Supply Contracts

(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract.

(a) The contact is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Japanese Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) dated the 6th October, 1978, concerning the Yen Credit No. ID-C4 (Commodity Aid) and will be subject to the approval of the Government of India for financing it under the said credit.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-C4 dated 6th October, 1978 between the Government of India and the Japanese Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)

(c) The Overseas Suppliers agrees to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) A certificate (triplicate) in the form indicated below :—

"I (we) hereby state that my (our) company has been registered in————(eligible source country) and is governed by nationals of the eligible source countries or juridical persons registered and incorporated in the eligible source countries".

(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Government of India

(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward to the Under Secretary (WE-I Section), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract, duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Overseas Suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas Supplier or their photo copies complete in the respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, also with an application (in duplicate) in the form attached as Annexure-III requesting for issue of Letter of authorisation for opening Letter of Credit.

Where supply contract is based on formal Open International Tendering or Formal Selective International Tendering a certificate to the following effect should be furnished in duplicate :—

(i) Name of the Newspaper(s) in which the bid specifications was published;

(ii) Name of parties who quoted against the tender enquiry;

(iii) the reason for selecting a particular offer indicating whether it is the lowest technically suitable bid.

Note :—For detailed procedure for procurement of commodities and finalisation of supply contract see Annexure-II.

(ii) If the contract documents, the request for issue of letter of authorisation and the import licence are found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, WE-I Section will approve the contract and notify the same to the OECF for their information that contract will be financed under the Yen Credit (Commodity Aid) and simultaneously forward, one set of documents to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, 1st Floor Parliament Street, New Delhi, for issue of necessary letter of authorisation. A copy of this communication will also be endorsed to the licensee for information.

The above procedure of approving contract will ipso facto apply to each contract amendment including revised scope of supply and/or increase/decrease in the value of contract.

Section V—Payment to the overseas supplier—Letter of Credit procedure

(i) On receipt of the documents mentioned in para IV(ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building 1st floor, Parliament Street, New Delhi (hereinafter referred to as the CAA&A for convenience) will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable letter of credit as in the form attached as Annexure-V in favour of the overseas supplier concerned and will endorse a copy thereof to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and WE-I Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit in favour of the overseas supplier concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo; the importer's bank in India and the CAA & A. (It should be noted that as per the Yen Credit arrangements the letters of credit in respect of public sector imports, Central Government Departments, State Governments and Electricity Boards would be opened only by the Tokyo Branch of the Bank of India.)

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of letters of authority from the CAA & A would inso facto apply to all such amendments to letters of authority/letters of credit as may become necessary due to contract amendment.

(iii) The overseas supplier shall, after affecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges, if any, of overseas supplier's banker and interest charges payable to the Bank of India, Tokyo, for the period

counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas supplier to the date of reimbursement by the OECF shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account. In respect of imports by Central Government Departments, the Bank of India, Tokyo will, however, recover these charges from the Embassy of India, Tokyo.

Section VI : Responsibility of rupee deposit :

(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks (as mentioned in (m) in Annexure-III) who should release these negotiable set of documents to the public sector projects, State Governments and Electricity Boards, concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen/US$/Pound Sterling Payments made to the overseas supplier along with interest charges thereon calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof, reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the overseas supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen/US $/£ Sterling payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad—Purchase under Yen Credits/Loan Agreement—Credits from the Government of Japan" under the detailed head "the Credit No. ID-C4 for 1978-79 (Commodity Aaid) from Japan".

(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not feasible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any such branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-76 is invariably indicated in the column "full articulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen/US Dollar/Pound Sterling in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the overseas supplier upto the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA & A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note :—Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that CAA & A, Ministry of Finance, (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

(v) (a) In the case of imports by the Department of the Central Government, the Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to their accredited bankers in India, as indicated in the Appendix to the relevant letter of Authority, and the bankers will in turn ensure that the Departments make the rupee deposits at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi in the manner laid down in the other paras of this Section. The provisions regarding the recovery of interest charges on the rupee equivalents due will not however apply in the case of imports by the Central Government Departments (vide Government of India, Ministry of Finance Circular Letter No. F. 45(30)-ECA(A)/73 dated 21-4-1976) extending the procedure of settlement of rupee deposits through Bank to the Departments of the Central Government.

(b) The rupee equivalents of Yen payments on account of banking and interest charges, etc. made by Embassy of India, Tokyo, will also be calculated in the above manner and deposited in favour of the Principal Accounts Officer, in the Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA & A will be issuing suitable advices.

Section VII : Miscellaneous Provisions :

(f) Reports on the utilisatio nof the import licence

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(f) Reports on the utilisation of the import licence

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

(ii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

(iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Commodity Aid) No. ID-C4 with the Japanese authorities.

(v) Breach or Violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

(vi) List of Annexures :

Annexure-I List of eligible source countries.

Annexure-II Detailed procedure for procurement.

Annexure-III Form of Request for issue of Letter of Authority for opening the Letter of Credit.

Annexure-IV Form of Letter of Authority.

Annexure-V Form of Letter of Credit.

ANNEXURE I

[Ref. : Section I—Para 1(v)]

List of Eligible Source Countries

A. **OECD Countries**

Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
Finland,
France,
the Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands,
New Zealand
Norway
Portugal
Spain,
Sweden,
Switzerland,
Turkey
the United Kingdom and
the United States.

B. **Developing Countries and Territories**

(b1) **Non-O.P.E.C. Developing Countries**

I. **AFRICA, North of Sahara**

Egypt
Morocco
Tunisia

II. **AFRICA, South of Sahara**

Angola
Botswana
Burundi,
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay (1)
Equatorial Guinea
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep. (2)
Sao Tome and Principle
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Tago
Uganda
Un. Rep. of Tanazania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main Islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern Part).

III. **AMERICA, North and Cent.**

Bahamas
Barbodoses
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands A tilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tabago
West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

IV. **AMERICA, South**

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. **ASIA, Middle East**

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Amirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. **ASIA, South**

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. **ASIA, Far East**

Burnei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timer
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. **OCEANIA**

Cock Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Pelynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Hieu
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tongo
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. **EUROPE**

Cyprus
Gibralter
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(b2) **Member or Associates Countries of OPEC**

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

(1) Main islands : Antiguia, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main islands ; Montserrant, Gayman, Turks and Calcos, and British Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

ANNEXURE II

Guidelines for Procurement of Commodities under the Commodity Loan IV

I. Introduction

The proceeds of the Commodity Loan IV extended by the Fund shall be used with due attention to efficiency and non-discrimination among the eligible source countries for procurement of commodities and services incidental thereto concerning the Commodity Loan IV in accordance with the procurement procedures set out in this Guidelines.

II. Selection of Procurement Procedure

The following procedures shall be applicable to the procurement of Listed Commodities under the Fund's loan :

(1) Formal Open International Tendering
(2) Formal Selective International Tendering
(3) Informal International Competitive Procurement
(4) Direct Purchases

(a) In the case of the procurement by the government and/or a government agency, Formal Open International Tendering or Formal Selective International Tendering shall be applied.

(b) In case of non-government procurement, any of the procedures mentioned above may be applied.

(c) The Fund, however, is in a position to accept the procurement through Informal International Competitive Procurement or Direct Purchases in the following cases:

(i) Where the amount of a proposed contract does not exceed—£ 300,000,000, US $ 1,500,000, or STG £ 800,000, in terms of currency of the contract.

(ii) Where the number of qualified suppliers is limited.

(iii) Where purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the interchangeability or standardization of equipment, or because of special design requirements.

(iv) Where the Fund deems inapplicable either procedure (1) or procedure (2) by the reason other than the case (i), (ii) and (iii) above (e.g. in case of emergency procurement).

(d) In any case mentioned above, Importer shall get a confirmation of the Borrower concerning the eligibility of procurement in accordance with the procurement procedure set forth in this Section 1-3. The Borrower shall send the Report of Contract with a copy of the Contract to the Fund.

III. Conditions of Contract

Any contract to be financed under the Loan shall fulfil the following conditions :

1. Conditions of Commodities.—As the use of the Loan is limited to financing expenditures for Listed Commodities produced in the eligible source countries, the subject items of the Contract shall be Listed Commodities produced in the eligible source countries and to be shipped to an Indian port from the eligible source countries. If the imported portion from non-eligible source countries is less than thirty per cent (30 per cent) of the following formula, Listed Commodities will be financed even if the imported portion from non-eligible source countries is included as a part of the Listed Commodities in the items of the Contract Formula mentioned above :

Import Price + Import Duty × 100

Supplier's FOB Price

2. Conditions of Supplier.—The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered in the eligible source countries.

3. Conditions of Importer.—The procurement of any commodities by the armed forces or their affiliated organizations of India shall not be eligible under the Loan.

4. Denomination of Currency.—The Contract shall be fixed and payable in Japanese Yen, United States Dollar, or Sterling Pound without any fraction less than one Yen (Y-1.00). One cent (C-1.00) or One Penny (D-1.00) respectively.

5. Standard Form of Contract:

(a) The following items shall be inserted in the Contract to be financed by the Fund:

(1) Name and Nationality of Supplier and Importer
(2) Number and Date of the Contract
(3) Name and Origin of the Commodities
(4) Contract Price and Quantity
(5) Payment Terms
(6) Delivery and Shipment Schedule
(7) Other General Regulations

(b) The Contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies, are also acceptable to the Fund.

(c) The following statement of eligibility by the Supplier shall be added to each contract:

"I(we) hereby state that my(our) company has been registered in————(eligible source country)."

6. Payment.—Each payment shall be made on and after the date of signing of the Loan Agreement.

In principle, the full amount of a shipment shall be paid to the supplier at each time of presentation of the relative shipping documents under an irrevocable Letter of Credit.

IV. International Tendering

When International Tendering is applied, the procurement shall be made in accordance with the following principles, among others:

1. Advertising.—On all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

2. Time Interval Between Invitation and Submission of Bids.—The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

3. Bid Opening Procedures.—The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

4. Bid Bonds or Guarantees.—In the case of bidding, bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

5. Standards.—If national standards with which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

6. Use of Brand Names.—Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features.

In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

7. Guarantees and Performance Bonds.—Bidding, documents may require some form of surety for guarantees, if necessary. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond.

8. Liquidated Damages.—Liquidated damages clauses, if necessary, should be included in bidding documents when delays in delivery will result in extra expenditures, loss of revenues or loss of other benefits to the Importer.

9. Force Majeure.—The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

10. Settlement of Disputes.—Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas Supplier.

11. Evaluation.

ANNEXURE III

[Ref: Section IV—Para IV(i)]

Request for Issue of the Letter of Authority

No. Date

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject.—Import of————————from Japan under the Yen Credit No. ID-C4 (Commodity Aid) for 1978-79

Sir,

In connection with the import of————from————under the above mentioned Yen Credit No. ID-C4 (Commodity Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the————(name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned:—

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) C&F value of contract in Yen/US Dollar/Pound Sterling.

(h) Amount of Indian Agents commission in Yen/US Dollar/Pound Sterling, if any, payable in Indian rupees and the net value of Yen/US $/Pound Sterling payable to overseas suppliers.

(i) Value in Yen/US $/Pound Sterling for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with Overseas Suppliers.

(k) Name and Address of the Overseas Suppliers.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and Address of the Importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.

ANNEXURE IV

[Ref: Section V—Para V(ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject.—Import under Yen Credit (Commodity Aid) Loan Agreement No. ID-C4—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 30th October, 1976 entered into with your Bank you are hereby authorised to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen/US $/Pound Sterling favouring M/s——————as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank, to the OECF, Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement directly by the importers' bank. The other banking charges including charges for handling documents, if any, and charges of overseas suppliers bankers, if any, will also be settled directly by the importers' bank. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority, is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto——————.

Yours faithfully,
Accounts Officer
for public sector imports
including Govt. Departments.

Copy forwarded to :—

1. Importer——————with reference to their letter No.——————dated——————.

2. Importer's Banker——————. They are requested to arrange to deposit the rupee equipment of the Yen/US $/£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17th January, 1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government account, is also required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16th June, 1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). **It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.**

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the SBI or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks drawn on and made payable to the SBI, Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68 dated 24th October, 1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and 103-ITC(PN)/76 dated 12th October, 1976. The head of Account to be credited is 'K-Deposits & Advances-843-Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements' under detailed head "Yen Credit (Commodity Aid) No. ID-C4 for 1978-79 from Japan-Credits from the Government of Japan".

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971 should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo, Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited along with the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Lino Building-1-1, Uchisaiwai-Cho, 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (WE-I) Branch, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE V

[Ref: Section V—Para V(ii)]

Irrevocable Letter of Credit

Date:

To

——————

——————

(Name and Address of the Supplier)

The Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.——— dated———between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC CO-OPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.———in your favour for account of———for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y/US $/£

(say Yen/$/£) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents.

Signed commercial invoice in
Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight" and "Notify".

Other documents.

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No.————) (if any)———— from————to————Partial shipment are————permitted. Transshipment is——permitted. Bills of Lading must be dated not later than————————Drafts must be presented for negotiation not later than————————.

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under————————irrevocable credit No.————, dated and Import Reference No.(s)————if any."

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Publication No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been **air mailed** direct to ————.
3. All banking charges under this credit are for account of **(the importer)** under the said Loan Agreement.

Yours faithfully,

(A Commercial Bank)

By————————

(Authorized Signature)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979